Friday, 26 March, 1971

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
5th LOK SABHA DEBATES

[पहला सत्र
First Session]

Preservation Unit
Fumigated
On
Parliament Library

[खंड 1 में अंक 1 से 12 तक हैं
Vol. I contains Nos. 1 to 12]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 6, शुक्रवार, 26 मार्च, 1971/5 चैत्र, 1893 (शक)

No. 6, Friday, March 26, 1971/Chaitra 5, 1893 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण	Members Sworn	1
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to a Matter of Urgent Public Importance	1—5
छोटी खाटू (राजस्थान) के हरिजनों पर किये गये अत्याचार—	Atrocities on Harijans of Choti Khatu, Rajasthan	1—5
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	Shri Atal Bihari Vajpayee	1, 2
श्री कृष्ण चन्द्र पन्त	Shri K. C. Pant	1—4
आम चुनावों के बारे में	Re : General Elections	5
स्थगन प्रस्ताव के बारे में	Re : Motion for Adjournment	5, 6
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	6—11
राज्य सभा से संदेश	Message from Rajya Sabha	11
आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) संशोधन विधेयक	Imports and Exports (Control) Amendment Bill	11
सदस्य द्वारा पदत्याग	Resignation by Member	12
(श्री भागीरथी गोमंगो)	(Shri Bhagirathi Gomango)	12
सामान्य बजट, 1971–72–सामान्य चर्चा और लेखा अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1971–72	General Budget, 1971-72—General Discussion and Demands for Grants on Account (General), 1971-72	12—23 & 25—36
श्री सरजू पांडे	Shri Sarjoo Pandey	12, 13
श्री हरि सिंह	Shri Hari Singh	17, 18
श्री चन्द्रिका प्रसाद	Shri Chandrika Prasad	18, 19
श्री सी. सी. देसाई	Shri C. C. Desai	19—21
श्री एम. एस. शिवस्वामी	Shri M. S. Sivasamy	22, 23
श्री नारायण चन्द	Shri Narain Chand	25, 26
श्री वीरेन्द्र अग्रवाल	Shri Virendra Agarwal	27—29

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
श्री के. जी. देशमुख	Shri K. G. Deshmukh	29—31
श्री मधु दन्दावते	Shri Madhu Dandavate	.... 21, 31—33
श्री सी. एम. स्टीफन	Shri C. M. Stephen	33—35
पूर्व बंगाल की स्थिति के बारे में	Re : Developments in East Bengal	24, 25
दिल्ली हवाई अड्डे पर दुर्घटना के बारे में वक्तव्य	Statement re : Accident at Delhi Airport	36, 37
(डा. कर्ण सिंह)	(Dr. Karan Singh)	37
पश्चिम बंगाल से केन्द्रीय बल को हटाने के बारे में संकल्प	Resolution re : withdrawal of Central Forces from West Bengal	37—51
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Basu	37, 41—43
श्रीमती सुशीला रोहतगी	Shrimati Sushila Rohtagi	41—43
डा. रानेन सेन	Dr. Ranen Sen	41, 44
श्री वयालार रवि	Shri Vayalar Ravi	45
श्री राम रतन शर्मा	Shri R. R. Sharma	45, 46
श्री बी. के. दास चौधरी	Shri B. K. Daschowdhury	46, 47
डा. कैलाश	Dr. Kailash	48
श्री समर गुह	Shri Samar Guha	41, 48
श्री सी. भट्टाचार्य	Shri C. Bhattacharyya	50
श्री सुधाकर पांडे	Shri Sudhakar Pandey	51
श्री ए. पी. शर्मा	Shri A. P. Sharma	51

लोक-सभा
LOK SABHA

शुक्रवार, 26 **मार्च**, 1971/5 **चैत्र**, 1893 **(शक)**

Friday, March 26, 1971/Chaitra 5, 1893 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker *in the Chair*]

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण
MEMBERS SWORN

श्री ए० के० सेन (कलकत्ता उत्तर-पश्चिम)

श्री फ्रैंक एन्थनी (नामनिर्देशित)

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

छोटी खाटू (राजस्थान) के हरिजनों पर किये गये अत्याचार

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : Sir, I call the attention of the Minister of HOME AFFAIRS to the following matter of urgent public importance and I request that he may make a statement thereon.

"Reported atrocities inflicted on Harijans of Choti Khatu in Nagaur District (Rajasthan) resulting in the death of two persons and demolition of houses."

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और इलैक्ट्रोनिक्स अणुशक्ति और विज्ञान तथा तकनीकी विभागों के राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : सरकार ने जिला नागौर के छोटी खाटू गांव की घटनाओं के सम्बन्ध में प्रैस रिपोर्ट देखी है। राजस्थान सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार 9 तथा 12 मार्च को हुई कथित मारपीट, लूटमार, अवैध दमन आदि की घटनाओं तथा 6 मार्च

को हुई कथित एक भैंस की चोरी के सम्बन्ध में तीन मामले दर्ज किये गये हैं। राज्य के गुप्तचर विभाग द्वारा मामलों की कानून के अनुसार जाँच की जा रही है। की गई जाँच के अनुसार वह शिशु जो कि घटनाओं में मारा गया बताया जाता था, जीवित है। मुख्य मंत्री ने कुछ अन्य मंत्रियों तथा राजस्थान विधान सभा के विरोधी दल के सदस्यों के साथ समाज के कमजोर वर्गों में पुनः विश्वास स्थापित करने के लिए 23 मार्च, 1971 को इस गांव का दौरा किया।

Shri Atal Bihari Vajpayee : I am surprised and sorry to read the statement of the Minister of State in the Ministry of Home Affairs given in Rajya Sabha. I could not understand whether it was made there for hiding the facts or to bring the facts to the notice of the public. Nothing has been said in that statement regarding the demolition of houses. Some Press reporters have stated that the atmosphere was tense and nobody in the village was prepared to say anything. Nothing has also been stated in the statement regarding the statement given by five injured women. We want to know the cause of that incident.

I want to know the reasons for not arresting the village Pradhan against whom so many allegations were made. I want to know whether Rajasthan Government has done something in this regard. It is clear that these Harijans are being harassed because they had decided to vote for a Swatantra Party's candidate (**interruptions**). I want to know why a judicial enquiry was not ordered in this matter.

Shri K. C. Pant : I have only mentioned in my statement the facts regarding the report sent by Rajasthan Government.

According to the information received by me some i. e. six houses were found to be demolished.

Police have been making investigations regarding the statement given by those women.

These incidents are disgraceful and every honourable member feels like that. The persons found guilty would be punished. The Chief Minister has also made this very statement that the person found guilty would be punished.

Necessary investigation is proceeding and it is a matter concerning the Rajasthan Government. Therefore I am not able to say anything more in this regard.

Shri Atal Bihari Vajpayee : Judicial enquiry should be conducted in this matter and Central Government should advise the State Government accordingly.

श्री पीलु मोडी (गोधरा) : यह घटना हरिजनों द्वारा स्वतन्त्र दल के उम्मीदवार को वोट देने के कारण घटी है। चैना राम, दीदवाना पंचायत के प्रधान के विरुद्ध दर्जनों मामले विचाराधीन हैं लेकिन उनका वित्त मंत्री से घनिष्ठ सम्बन्ध होने के कारण उनके विरुद्ध अब तक कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की गई है। मुख्य मंत्री ने भयग्रस्त क्षेत्र का दौरा किया लेकिन उनके दल के साथ चैनाराम के होने के कारण उनका दौरा सफल सिद्ध नहीं हुआ।

चैनाराम 50-60 व्यक्तियों के साथ छोटी खाटू गांव में 9 मार्च को गया और वहां उन लोगों ने भैंस को चुराने का अभियोग लगाकर महिलाओं के गहने और नकदी लूट ली। वह 12 मार्च को भी वहां गया और हरिजन परिवारों के अनेक मकान गिरवा दिये। इस सम्बन्ध में मैंने आपको भी एक पत्र लिखा था लेकिन मुझे उसका अब तक कोई उत्तर नहीं मिला

है। मैंने उन महिलाओं के भी साक्ष्य रिकार्ड किये हैं और यदि आप अनुमति दें तो मैं उन्हें यहां पर सुनवा सकता हूं। श्री सोमानी की 20 जीपों को क्षति पहुंचाई गई है अथवा उन्हें जला दिया गया है। लगभग 20 कार्यकर्त्ताओं को अस्पताल में दाखिल नहीं किया गया। श्री सोमानी ने इस बारे में 15 जनवरी को मुख्य चुनाव आयुक्त को भी लिखा था। इसके अतिरिक्त पुलिस, कलेक्टर, राज्य सरकार के अधिकारियों और राज्य चुनाव आयुक्त और प्रधान मंत्री से भी शिकायतें की गई हैं लेकिन इस बारे में किसी ने अभी तक कोई उत्तर नहीं दिया है।

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार इस घटना के कारणों के सम्बन्ध में जांच करेगी ? मैं यह भी जानना चाहूंगा कि जांच की व्यवस्था किस प्रकार की जायेगी क्योंकि श्री चैनाराम को वित्त मंत्री श्री माथुर का समर्थन प्राप्त है और श्री माथुर को श्री सुखाडिया का समर्थन प्राप्त है।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैं बताना चाहता हूं कि जब यह मामला विधान सभा में विचार के लिये 22 मार्च को उठाया गया था तो मुख्य मंत्री और वित्त मंत्री दोनों ने ही इस सम्बन्ध में चिन्ता व्यक्त की थी और उक्त गांव का 23 मार्च को दौरा किया था। इससे मालूम हो जाता है कि वह इस मामले के बारे में कितने चिन्तित थे। हमें जो भी शिकायतें प्राप्त हुई हैं हमने उन्हें राज्य सरकार को भेज दिया है और इस बारे में भी हमें जो शिकायतें प्राप्त हुई थीं उन्हें भी राज्य सरकार को भेज दिया गया है और राज्य सरकार इस बारे में जांच कर रही है। इस बारे में यदि केन्द्रीय सरकार की सहायता की आवश्यकता होगी तो हम उनको अवश्य सहायता देंगे।

डा० कर्णी सिंह (बीकानेर) : उक्त क्षेत्र में अपनी मर्जी से मत देने वाले व्यक्तियों को परेशान किया गया है। ऐसा ही मेरे निर्वाचन क्षेत्र में भी हुआ है। यदि ऐसा करने से नहीं रोका गया तो लोकतन्त्र का अन्त हो जायेगा। सरकार द्वारा बेचारे हरिजनों को परेशान किया जा रहा है। यदि सरकार नागरिकों की रक्षा करने में असफल होगी तो जनता कानून अपने हाथों में ले लेगी। मैं जानना चाहूंगा कि क्या केन्द्रीय सरकार किसी ऐसे राज्य में कोई कार्यवाही करेगी जहां सत्तारूढ़ राज्य सरकार ने जनता को परेशान करना आरम्भ कर दिया हो। सरकार उन गरीब हरिजनों को क्या मुआवजा देगी जिनके मकानों को नष्ट कर दिया गया है, और जिनकी स्त्रियों को पीटा गया है तथा जिनके बच्चों को मार दिया गया है। कांग्रेस दल के विरुद्ध वोट देने वाले व्यक्तियों को क्या संरक्षण देने का सरकार का विचार है ?

क्या सरकार इस बात की भी व्यवस्था करेगी कि श्री अजीत सिंह, एक भूतपूर्व सैनिक के परिवार को भी पूरा संरक्षण प्राप्त होगा ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मतदाताओं को डराने के बारे में मुख्य चुनाव आयुक्त ने मध्यावधि चुनाव से पूर्व इस बारे में सुझाव दिये थे। उन्होंने इस बारे में कुछ कानून बनाने का भी सुझाव दिया था और उन सुझावों पर विपक्षीदलों के नेताओं से विचार विमर्श किया था। लेकिन इस समिति के गठन के बाद लोक-सभा का विघटन हो गया और उक्त समिति इस विषय पर आगे विचार न कर सकी। डराने धमकाने को रोकने के लिये उन क्षेत्रों में जहां अधिक संख्या में हरिजन रहते हैं, मतदान केन्द्रों की संख्या बढ़ा दी गई थी। मत गणना के तरीके में भी परिवर्तन कर दिये गये हैं।

इस प्रकार की कार्यवाही के बाद इसका अनुमान लगाना कठिन है कि एक विशेष मत-दान केन्द्र में मतों का क्या रूख रहा है। अतः यह कहना भी कठिन है कि अमुक गांव या अमुक स्थान के व्यक्तियों ने किस व्यक्ति को मत दिया।

श्रीमती गायत्री देवी (जयपुर): माननीय मंत्री को इस बारे में जानकारी नहीं है। जब महिलाएं वोट डालकर आती थीं तो उनसे पूछा जाता था कि उन्होंने किस उम्मीदवार को वोट दिया और उनका जवाब होता था कि तारे को वोट दिया है।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त: माननीय महारानी को तो उन्हें यही बताना था। हमें सभी राज्य सरकारों से शिकायतें मिलती हैं। सभी शिकायतों पर समान रूप से विचार किया जाता है। हम इस मामले में कोई पक्षपात नहीं करते हैं और हम सब शिकायतों के बारे में समान कार्यवाही ही करते हैं। हम हरिजनों को यथासम्भव संरक्षण देने की कोशिश कर रहे हैं। पश्चिम उत्तर-प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और किसी अन्य क्षेत्र जहां से हमें डराने-धमकाने की पूर्व-सूचना प्राप्त हुई थी, हमने यथासम्भव कार्यवाही की थी। हम निष्पक्ष और न्यायोचित मतदान चाहते थे। समस्त देश से कुछ शिकायतें प्राप्त होने के अतिरिक्त मतदान शान्तिपूर्ण रहा। हमारा अनुभव तो यह रहा है कि जिन्होंने हमारे पक्ष में मतदान किया है उन्हें ही संरक्षण की आवश्यकता रही है। प्रत्येक नागरिक को संरक्षण प्राप्त करने का अधिकार है **(अन्तर्बाधाएं)**। नागरिकों को संरक्षण देने और राज्य में कानून व्यवस्था बनाये रखने का दायित्व राज्य सरकारों पर होता है।

श्री पी० के० देव (कालाहांडी): स्वतन्त्र पार्टी ने 8 फरवरी को चुनाव आयुक्त को सूचित किया था कि राजस्थान में भय का वातावरण विद्यमान है और वहां केन्द्रीय रिजर्व पुलिस तैनात की जानी चाहिए थी। लेकिन इस बारे में कोई कार्यवाही नहीं की गई हैं। किशनगढ़ के महाराजा की हत्या के बाद ही यह वक्तव्य दिया गया था कि इसके बारे में केन्द्रीय गुप्तचर विभाग द्वारा जांच की जायेगी लेकिन इस वक्तव्य के तीन दिन बाद ही राजस्थान के इंस्पेक्टर जनरल आफ पुलिस और गृह-मंत्री ने यह वक्तव्य दिया कि यह मामला राजनीति से सम्बन्धित नहीं है।

यह दुःख की बात है कि चुनावों के बाद लोगों को इस प्रकार से परेशान किया जा रहा है।

मैं यह जानना चाहूंगा कि यद्यपि चैनाराम के विरुद्ध 100 से अधिक मामले हैं फिर भी उसको वित्त मंत्री द्वारा संरक्षण देने के क्या कारण हैं। हम सरकार से यह आश्वासन चाहते हैं कि वह इस मामले की सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा जांच करायगी। मैं अपने इस सुझाव पर सरकार की प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त: इस मामले में भारत सरकार को कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उनके सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है। घटना के दो कारण बताये गये हैं और जब तक इस बारे में जांच पूरी नहीं हो जाती यह नहीं कहा जा सकता कि कौनसा कारण ठीक है।

श्री पी० के० देव : यह कानून और व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। यह हरिजनों से सम्बन्धित मामला है। भारत सरकार की जिम्मेवारी है कि वह इस बारे में जांच कराये और जांच का कार्य राजस्थान सरकार पर न छोड़ें जिसका इस मामले में हाथ है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य कृपया स्थान ग्रहण करें। एक माननीय सदस्य देरी से आये हैं और वह अब शपथ लेना चाहते हैं।

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण
MEMBER SWORN

श्री बी० वी० नायक (कनारा)

आम चुनाओं के बारे में
RE : GENERAL ELECTION

Shri G. P. Yadav (Katihar) : Mr. Speaker, Sir, yesterday a serious matter was brought before the House regarding the Ballot papers. But the All India Radio has not given publicity regarding this.

अध्यक्ष महोदय : मेरे अनुमति के बिना बोलने वाले सदस्यों के वक्तव्य कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नही किये जायेंगे। **व्यवधान****

स्थगन प्रस्ताव के बारे में
RE : MOTION FOR ADJOURNMENT

श्री कल्याणसुन्दरम् (तिरुचिरापल्ली) : मैंने दिल्ली हवाई अड्डे पर इंडियन एयरलाइन्स के दो अधिकारियों की दुःखद मृत्यु पर स्थगन प्रस्ताव की पूर्वसूचना दी थी, यह कोई साधारण घटना नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : इसकी मैंने अनुमति नहीं दी है, यह तो मात्र एक दुर्घटना है।

श्री कल्याणसुन्दरम् : यह मात्र दुर्घटना नहीं है। इंडियन एयरलाइन्स में तालाबन्दी थी तथा दो अधिकारियों को ऐसे कार्य पर लगाया गया था जिसके वे अभ्यस्त नहीं थे.........

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : इस सभा में ऐसी प्रथा रही है कि इस प्रकार की दुर्घटनाओं के होने पर मन्त्री महोदय स्वयं कम से कम इस पर वक्तव्य देते हैं, मुझे आशा है कि आप मन्त्री महोदय को इसके लिए कहेंगे...........

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**Not recorded.

अध्यक्ष महोदय : मैंने केवल इतना कहा था कि यह स्थगन प्रस्ताव का मामला नहीं है परन्तु यदि मन्त्री महोदय इस पर वक्तव्य देते हैं तो मैं उसका स्वागत करूंगा ।

श्री पी० के० देव : मैंने पूर्वसूचना दी थी**

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें अनुमति नहीं दी है अतएव यह कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं होगा ।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

एकाधिकार तथा निर्बन्धकारी व्यापार प्रथा (संशोधन) नियम

समवाय कार्यमन्त्री (श्री के० वी० रघुनाथ रेड्डी): मैं एकाधिकार तथा निर्बन्धकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 की धारा 67 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत एकाधिकार तथा निर्बन्धकारी व्यापार प्रथा (संशोधन) नियम, 1971 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं जो भारत के राजपत्र दिनांक 12 जनवरी, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 92 में प्रकाशित हुए थे । **(ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 16/71)**

स्वर्ण नियंत्रण संशोधन नियम, आय-कर संशोधन नियम, सम्पत्ति-कर अधिनियम नियम आदि

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम, 1968 की धारा 114 की उपधारा (3) के अन्तर्गत स्वर्ण नियंत्रण (प्रपत्र, फीस तथा विविध विषय) संशोधन नियम, 1970 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण, की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र दिनांक 2 जनवरी, 1971 में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 19 में प्रकाशित हुए थे । **(ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 17/71)**

(2) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अन्तर्गत आयकर (पांचवा संशोधन) नियम, 1970 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र दिनांक 16 दिसम्बर, 1970 में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 4001 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन । **(ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 18/71)**

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

**Not recorded.

(3) धनकर अधिनियम, 1957 की धारा 46 की उपधारा (4) के अन्तर्गत धनकर (संशोधन) नियम, 1971 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र दिनांक 1 मार्च, 1971 में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 999 में प्रकाशित हुए थे। **(ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 19/71)**

(4) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और लवण अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (चौदहवां संशोधन) नियम, 1970, जो भारत के राजपत्र दिनांक 26 दिसम्बर, 1970 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2065 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (पहला संशोधन) नियम,1971 जो भारत के राजपत्र दिनांक 9 जनवरी, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 63 में प्रकाशित हुए थे। **(ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 20/71)**

(5) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और लवण अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) 82वां संशोधन नियम, 1970 जो भारत के राजपत्र दिनांक 5 दिसम्बर. 1970 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1984 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सीमा-शुल्क तथा उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) 83वां संशोधन नियम, 1970 जो भारत के राजपत्र दिनांक 12 दिसम्बर, 1970 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2004 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) 84वां संशोधन नियम, 1970, जो भारत के राजपत्र दिनांक 19 दिसम्बर, 1970 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2036 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) 85वां संशोधन नियम, 1970 जो भारत के राजपत्र दिनांक 19 दिसम्बर. 1970 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2037 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) 86वां संशोधन नियम, 1970 जो भारत के राजपत्र दिनांक 19 दिसम्बर, 1970 में अधिसूचना संख्या जी॰ एस॰ आर॰ 2038 में प्रकाशित हुए थे।

(छः) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) 87वां संशोधन, नियम, 1970 जो भारत के राजपत्र दिनांक 19 दिसम्बर, 1970 में अधिसूचना संख्या जी॰ एस॰ आर॰ 2039 में प्रकाशित हुए थे।

(सात) जी॰ एस॰ आर॰ 2041 जो भारत के राजपत्र दिनांक 19 दिसम्बर, 1970 में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें दिनांक 31 अक्तूबर, 1970 की अधिसूचना संख्या जी॰ एस॰ आर॰ 1859 का शुद्धि-पत्र दिया हुआ है।

(आठ) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) 88वां संशोधन, नियम, 1970 जो भारत के राजपत्र दिनांक 26 दिसम्बर, 1970 में अधिसूचना संख्या जी॰ एस॰ आर॰ 2066 में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) 89वां संशोधन नियम, 1970 जो भारत के राजपत्र दिनांक 26 दिसम्बर, 1970 में अधिसूचना संख्या जी॰ एस॰ आर॰ 2067 में प्रकाशित हुए थे।

(दस) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) पहला संशोधन नियम, 1971 जो भारत के राजपत्र दिनांक 2 जनवरी, 1971 में अधिसूचना संख्या जी॰ एस॰ आर॰ 39 में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) दूसरा संशोधन नियम, 1971 जो भारत के राजपत्र दिनांक 16 जनवरी, 1971 में अधिसूचना संख्या जी॰ एस॰ आर 84 में प्रकाशित हुए थे।

(बारह) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) तीसरा संशोधन नियम, 1971 जो भारत के राजपत्र दिनांक 16 जनवरी, 1971 में अधिसूचना संख्या जी॰ एस॰ आर॰ 85 में प्रकाशित हुए थे।

(तेरह) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) चौथा संशोधन नियम, 1971 जो भारत के राजपत्र दिनांक 23 जनवरी, 1971 में अधिसूचना संख्या जी॰ एस॰ आर॰ 111 में प्रकाशित हुए थे।

(चोदह) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) पांचवां संशोधन नियम, 1971 जो भारत के राजपत्र दिनांक 23 जनवरी, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 112 में प्रकाशित हुए थे।

(पंद्रह) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) छठा संशोधन नियम, 1971 जो भारत के राजपत्र दिनांक 6 फरवरी, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 179 में प्रकाशित हुए थे।

(सोलह) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शूल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) सातवां संशोधन नियम, 1971 जो भारत के राजपत्र दिनांक 6 फरवरी, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 180 में प्रकाशित हुए थे।

(सत्तरह) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) आठवां संशोधन नियम, 1971 जो भारत के राजपत्र दिनांक 6 फरवरी, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 181 में प्रकाशित हुए थे।

(अठारह) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) नौवां संशोधन नियम, 1971 जो भारत के राजपत्र दिनांक 6 फरवरी, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 182 में प्रकाशित हुए थे।

(उन्नीस) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) दसवां संशोधन नियम, 1971 जो भारत के राजपत्र दिनांक 13 फरवरी, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 217 में प्रकाशित हुए थे।

(बीस) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) ग्यारहवां संशोधन नियम, 1971 जो भारत के राजपत्र दिनांक 13 फरवरी, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 218 में प्रकाशित हुए थे।

(इक्कीस) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) बारहवां संशोधन, नियम, 1971, जो भारत के राजपत्र दिनांक 13 फरवरी, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 219 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बाईस) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) तेरहवां संशोधन, नियम, 1971, जो भारत के राजपत्र दिनांक 20 फरवरी, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 248 में प्रकाशित हुए थे।

(तेईस) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) चौदहवां संशोधन नियम, 1971 जो भारत के राजपत्र दिनांक 20 फरवरी, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 249 में प्रकाशित हुए थे। **(ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 21/71)**

(6) सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) जी० एस० आर० 1985 जो भारत के राजपत्र दिनांक 5 दिसम्बर, 1970 में प्रकाशित हुई थी।

(दो) जी० एस० आर० 2006 जो भारत के राजपत्र दिनांक 12 दिसम्बर, 1970 में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) जी० एस० आर० 2007 जो भारत के राजपत्र दिनांक 12 दिसम्बर, 1970 में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) जी० एस० आर० 2040 जो भारत के राजपत्र दिनांक 19 दिसम्बर, 1970 में प्रकाशित हुई थी।

(पांच) जी० एस० आर० 42 जो भारत के राजपत्र दिनांक 1 जनवरी, 1971 में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छः) जी० एस० आर० 89 जो भारत के राजपत्र दिनांक 16 जनवरी, 1971 में प्रकाशित हुई थी।

(सात) जी० एस० आर० 90 जो भारत के राजपत्र दिनांक 16 जनवरी, 1971 में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) जी० एस० आर० 91 जो भारत के राजपत्र दिनांक 16 जनवरी 1971 में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) जी० एस० आर० 183 जो भारत के राजपत्र दिनांक 6 फरवरी, 1971 में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) जी० एस० आर० 222 जो भारत के राजपत्र दिनांक 13 फरवरी, 1971 में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) एस० ओ० 98 जो भारत के राजपत्र दिनांक 1 जनवरी 1971 में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। **(ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 22/71)**

(7) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियम, 1944 के अधीन जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) जी० एस० आर० 2005 जो भारत के राजपत्र दिनांक 12 दिसम्बर, 1970 में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) जी० एस० आर० 2011 जो भारत के राजपत्र दिनांक 15 दिसम्बर, 1970 में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) जी० एस० आर० 2043, 2044 और 2045 जो भारत के राजपत्र दिनांक 17 दिसम्बर, 1970 में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) जी० एस० आर० 2047 और 2048 जो भारत के राजपत्र दिनांक 18 दिसम्बर, 1970 में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) जी० एस० आर० 2063 और 2064 जो भारत के राजपत्र दिनांक 26 दिसम्बर, 1970 में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छ:) जी० एस० आर० 37 जो भारत के राजपत्र दिनांक 2 जनवरी, 1971 में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) जी० एस० आर० 294 जो भारत के राजपत्र दिनांक 27 फरवरी, 1971 में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) जी० एस० आर० 295 जो भारत के राजपत्र दिनांक 27 फरवरी, 1971 में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। **(ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 23/71)**

राज्य सभा से सन्देश
MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : मुझे राज्य सभा के सचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश देना है :—

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 111 के उपबन्धों के अनुसार मुझे 25 मार्च 1971 को राज्य सभा में पारित आयात और निर्यात (नियंत्रण) संशोधन विधेयक 1971 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश दिया गया है।"

आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) संशोधन विधेयक
IMPORTS AND EXPORTS (CONTROL) AMENDMENT BILL

सचिव : मैं राज्य सभा द्वारा पारित रूप में आयात और निर्यात (नियंत्रण) संशोधन विधेयक 1971 सभा-पटल पर रखता हूं।

सदस्य द्वारा पदत्याग
RESIGNATION OF MEMBER

(श्री भागीरथी गोमंगो)
(Shri Bhagirathi Gomango)

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को यह सूचित करना है कि श्री भागीरथी गोमंगो ने, जो कि उड़ीसा के कोल्हापुर निर्वाचन क्षेत्र से चुनकर आये थे, 25 मार्च, 1971 से लोक-सभा की अपनी सदस्यता से त्याग-पत्र दे दिया है।

सामान्य बजट, 1971-72—सामान्य चर्चा और लेखा अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1971-72–जारी
GENERAL BUDGET 1971-72—GENERAL DISCUSSION AND DEMANDS FOR GRANTS ON ACCOUNT (GENERAL) 1971-72—Contd.

अध्यक्ष महोदय : यह सभा अब मद 6 और 7 पर चर्चा करेगी, कटौती प्रस्ताव बाद में रखे जाएंगे। श्री सरजू पाण्डेय।

Shri Sarjoo Pandey (Ghazipur) : The people of our country had hoped some revolutionary changes in the ensuing Budget and they gave landslide victory to the Congress (R) to make those changes quickly. But I find that there is nothing new in the Budget.

The Budget envisages provision to give jobs to unemployed and Rs. 50 crores has been earmarked for this purpose. In this way a provision of Rs. 175 crores has been made to remove backwardness of some regions. It is said that efforts will be made to stabilize prices. Nothing has been said about the checks on prices rise. This Budget has disappointed the people. Surprisingly there is no mention in this Budget that how this Government will find out the money for the Plans.

It appears that burden of taxes will be put on the people and a sense of frustration will prevail in the country. The poverty and unemployment have compelled our youths to take shelter in woods. They want radical changes but the same old assurances have been reported again and again.

Unemployment is the first and foremost problem. An Hon. Member had spoken of giving everything to the Private Sector and great changes will come in future. He made complaints regarding Public Sector. I suggest that before bringing radical changes, a new direction should be given to the country. If you had to bring a Socialist Budget then there must have been a provision to provide jobs to unemployed and they must be given some allowance during their unemployment. About one crore people are unemployed here and the number of unemployed engineers is 60—63 thousands. I do not understand that without providing jobs to unemployed the Government can stop them from resorting to other means.

I have received a letter written by a young man from Siliguri. He says that only violence can bring revolutionary changes. It shows that our youths want radical changes. The provision of fifty crores of rupees is insignificant to remove the unemployment.

I am happy that three Steel Plants are being set up in South India but nothing has been done for Uttar Pradesh and Orissa etc. The Budget does not indicate anything regarding the development of backward areas of eastern Uttar Pradesh. A demand for Atomic Power

Station was made for Uttar Pradesh but the present Budget is silent in this regard. Our demand is that those States which have been neglected must be given proper consideration.

There has been a demand to bring improvement in the situation in Calcutta. The provision made in this Budget for the city is insignificant.

The Ganges divides our district into two. It has been our demand to connect it by constructing bridge on the Ganges. But uptil now nothing has been done in this regard. If the region is to be developed then construction of bridges is imperative. But no provision has been made yet.

Mention of crops has been made. The sugarcane growers are suffering a lot. The price of sugarcanes has not been fixed and on the other hand the mill owners have not made payments of arrears to the sugarcane growers. Several representations have been made to the Government in this respect, but of no avail.

The vast gap in incomes must be removed. On the one hand there are people who are earning rupees six thousands to rupees ten thousands and on the other hand there are people who are earning rupees sixty only. This difference has not been removed or lessened. How the people believe that socialism will dawn in the country ?

Even after nationalization of banks poor people are not getting loans. These people cannot furnish securities and hence, are deprived of loans from the banks. Small businessmen do not get loan. In the same way those farmers, who want to instal pumping sets, also cannot take loans. If the coffers are to be increased then all the banks should be nationalized. Foreign banks may also be brought under nationalisation.

The Government of many small countries have taken oil industries in their hands. But even now our Government have allowed Private Sector to carry on these industries. Your Ten Point programme contains the provision of taking over Oil Industry. But till now nothing has been materialised.

The question of Privy Purses is there. I do not know what services the prices have rendered to the country. They helped the Britishers in the execution of thousands of people. Even then talks of granting Privy Purses and compensation to them are made. I do not know the mystery behind it. Even today they are enjoying privileges like houses, electricity, oil, petrol and other things free of cost. The Princes have several telephones at their disposal while there are thousand such businessmen in our country who are in dire need of it. On one hand there are poor, naked and starved people and on the other hand there are the Princes enjoying fabulous life. Big businessmen and moneylenders have amassed money by exploiting the poor. As this money belongs to the country so it should be invested here. In many States ceiling of lands has been fixed but the Birlas and the Tatas have been kept out of it. Is there no limit here for them ?

Some members are here who have won the election in the name of socialism. It is their moral obligation to fulfil the proclaimed promises, otherwise they will meet the same fate which other antagonists of socialism and progress had experienced.

The Government should take over foreign trade in its hands. Malpractices are in rampant in this field but the Government have no courage to take action against the persons concerned.

Foreign trade, oil industry and banks should be nationalized so that the people may get relief from taxes. If the Government impose taxes then the prices of Consumers' Goods will increase resulting in exposing the hollowness of socialism. Their frustrations will envelop the country and this may lead to unimaginable happenings. The people are looking at the Government for some changes. False assurances will not pay and Government should try to bring changes.

It is imperative that new laws should be evolved for the protection of poor and the minority communities. The administration should be fully authorised to cope with those elements who organise riots, and do mischievous propaganda. The happenings of Aligarh are shameful. Today the concerned persons are walking there but no action is taken there by the police. The Government should give protection to the poor.

If the Government bring radical changes in its policies then only can violence be kept at bay. The Birlas cannot save the country. The country can only go ahead if the lot of poor people is improved.

Shri Ramavatar Shastri (Patna) : We should be given time to move our cut motions.

अध्यक्ष महोदय : उनको प्रस्तुत हुआ मान लिया गया है।

सामान्य बजट 1971–72 और बजट (सामान्य) (1971–72) सम्बन्धी लेखानुदानों की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव किये गये :—

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
7	1	श्री रामावतार शास्त्री	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के प्रांगण से राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यालय को हटाने में विफलता।	100 रुपये
7	2	श्री रामावतार शास्त्री	उर्दू भाषा के विकास के लिये उचित प्रबन्ध करने की आवश्यकता।	100 ,,
7	3	श्री रामावतार शास्त्री	उर्दू के प्रति विमाता का सा व्यवहार।	100 ,,
7	4	श्री रामावतार शास्त्री	देश भर में शिक्षा का राष्ट्रीयकरण करने की आवश्यकता।	100 ,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
7	5	श्री रामावतार शास्त्री	देश के सब स्कूलों तथा कालेजों में एक समान पाठ्यक्रम लागू करने की आवश्यकता।	100 रुपये
7	6	श्री रामावतार शास्त्री	स्कूलों तथा कालेजों के शिक्षकों की मांगों को स्वीकार करने में असफलता।	100 ,,
7	7	श्री रामावतार शास्त्री	प्रत्येक राज्य में कम से कम एक एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की आवश्यकता।	100 ,,
7	8	श्री रामावतार शास्त्री	पटना विश्वविद्यालय की दयनीय स्थिति को देखते हुए उसे केन्द्र के नियंत्रणाधीन लाने की आवश्यकता।	100 ,,
41	11	श्री रामावतार शास्त्री	हाल में हुए लोक-सभा के चुनावों के दौरान अधिकारियों तथा पुलिस द्वारा अपनाये गये पक्षपातपूर्ण रवैये की जांच कराने की आवश्यकता।	100 ,,
41	12	श्री रामावतार शास्त्री	साम्प्रदायिक संगठनों तथा साम्प्रदायिक प्रचार पर प्रतिबन्ध लगाने की आवश्यकता।	100 ,,
45	13	श्री रामावतार शास्त्री	पुलिस की निरंकुशता को रोकने की आवश्यकता।	100 ,,
45	14	श्री रामावतार शास्त्री	मुअत्तिल तथा बर्खास्त किये गए पुलिस कर्मचारियों को उनकी बहाली के बाद उनकी मुअत्तिली तथा बर्खास्तगी की तारीख से सुविधायें देने की आवश्यकता।	100 ,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
64	15	श्री रामावतार शास्त्री	बिहार में कोसी, गंडक और सोन नदी परियोजनाओं की क्रियान्विति के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता।	100 रुपये
64	16	श्री रामावतार शास्त्री	पुनपुन नदी योजना, मोकामह ताल योजना और बरहिया ताल योजना को पूरा करने के लिए बिहार सरकार को विशेष सहायता देने की आवश्यकता।	100 ,,
64	17	श्री रामावतार शास्त्री	बिहार सरकार की नलकूप योजनाओं के लिए अतिरिक्त धन देने की आवश्यकता।	100 ,,
64	18	श्री रामावतार शास्त्री	बिहार को अधिक बिजली देने तथा बिजली की दरों को कम करने की आवश्यकता।	100 ,,
64	19	श्री रामावतार शास्त्री	गंगा नदी से बिहार के पटना, शाहाबाद, गया, मुंगेर तथा भागलपुर जिलों में सिंचाई की सुविधायें उपलब्ध कराने में असफलता।	100 ,,
64	20	श्री रामावतार शास्त्री	मध्य प्रदेश सरकार को उस के क्षेत्राधिकार के अन्दर सोन नदी पर बांध बनाने की अनुमति न देने की आवश्यकता।	100 ,,
67	21	श्री रामावतार शास्त्री	श्रम विभाग की श्रम विरोधी नीति में परिवर्तन करने की आवश्यकता।	100 ,,
67	22	श्री रामावतार शास्त्री	भविष्य निधि कार्यालयों के कर्मचारियों की नौसूत्री मांगों को स्वीकार करने में असफलता।	100 ,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
67	23	श्री रामावतार शास्त्री	भविष्य निधि-कार्यालयों के अधिकारियों की श्रम विरोधी तथा मनमानी नीति ।	100 रुपये
66	24	श्री रामावतार शास्त्री	देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी को रोकने में असफलता ।	100 ,,
68	25	श्री रामावतार शास्त्री	खान सुरक्षा के लिये असंतोषजनक प्रबन्ध ।	100 ,,
68	26	श्री रामावतार शास्त्री	खानों में आधुनिकतम सुरक्षा उपकरण लगाने की आवश्यकता ।	100 ,,
69	27	श्री रामावतार शास्त्री	श्रम न्यायाधिकरणों तथा पंचनिर्णय मंडलों के पंचाटों को सख्ती से लागू करने में असफलता ।	100 ,,
69	28	श्री रामावतार शास्त्री	खान मजदूरों की कल्याण योजनाओं पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता ।	100 ,,
69	29	श्री रामावतार शास्त्री	वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार खान श्रमिकों को मजूरी देने में असफलता ।	100 ,,
70	30	श्री रामावतार शास्त्री	विस्थापित व्यक्तियों की दयनीय स्थिति को सुधारने की आवश्यकता ।	100 ,,

Shri Hari Singh (Khurja) : I support the budget proposals put forward by the Finance Minister, because no tax has been levied in this budget. If we have to develop the country, we would have to work on war footing, otherwise it would take centuries to raise the standard of our people equal to that of other countries.

On the one hand there is widespread poverty in the country. On the other there are many families who have millions of unaccounted money i. e., black money. No new proposal has been put forward to unearth that money. I suggest that something should be done in this regard. This black money was used by ex-rulers and big capitalists in fighting the elections.

There is wide-spread unemployment in the country, but our Government is fully aware of the problem. If Government wants to abolish unemployment in the country, it should nationalise tea-gardens and jute factories. I am sure that Government would be able to bring about equality in the country.

I would also like to mention that high level officers in the Government machinery bring about a bad name to our democracy. The Government should have full details about the income and expenditure of these officers. It is the greatest need of the hour to decentralise the wealth among the masses. The huge inequality in wages has to be reduced as early as possible.

There are millions of Harijans and people belonging to backward classes who do not have, even a small house to live in. The Government should protect the weaker section of the society. Any person earning Rs. 3,000 monthly should not be allowed to own land in his or her name.

Our country is an agricultural country and my district is an agricultural district. There are difficulties of irrigational facilities and power supply which have to be solved urgently.

Shri Chandrika Prasad (Ballia) : I support the budget proposals, because economic and social justice have been assured in this budget.

Shri Atal Bihari Vajpayee had referred to the atrocities being committed on Harijans in Rajasthan. In my constituency the partners of four parties front including Jan Sangh, S. S. P. and Swatantra men handled the Harijans and did not allow them to exercise their franchise at their wish.

There was firing in my constituency and there was 'lathi' charge also on a Muslim procession. Even the Central Government could not protect the interests of the weaker section of the society. An enquiry should be held to go in this matter and the guilty should be put to the task. I would also urge the Government to establish separate polling booths for Harijans in future. There should also be mobile polling booths. The Election Commissioner should have his own Force, so that he could provide protection to the voters to ensure free and fair election.

The problem of unemployment is growing day by day. This mid-term election has been a fight for the principles. We have to fulfil the aspirations of the people. The unemployed should be paid unemployment allowance. There are many sources to meet this expenditure. Taxes should be levied on those who are tax-evaders. The remaining banks alongwith jute and tea industry should be nationalised. The Privy Purse should be abolished forthwith.

The removal of backwardness of undeveloped areas should be given priority in our budget. The amount of Rs. 195 crores earmarked for the assistance of States is not sufficient. The development of eastern districts of U. P. should be given top-priority. The Central Government should help the establishment of a sugar factory on co-operative basis.

Our province is very much backward in the matter of communication and power supply. The assurance of establishing an atomic energy plant has not so far been implemented. The decline in the water level of Rihand Dam has led to 25 per cent cut in electric supply. The full supply should be restored by running these thermal power stations.

The Bhagwati Committee appointed by the Transport Ministry had recommended shipping transport through Ganges and Ghaghra, but high level officers have not been extending their co-operation in this regard.

Our country is a country of freedom fighters. The U. P. Government is not giving full assistance to the families of the freedom fighters who had laid their lives for the sake of the motherland. We should protect their famili:s by extending financial assistance.

The people are not able to get financial assistance from the banks to the extent we had assured them. A small man like Rickshaw puller cannot produce a security. The rules should be so liberal as to provide loans on personal security.

We had requested to open two or three branches of banks at Ratsar and Garhwar, but no action has been taken so far.

The laws which do not allow the abolition of poverty and unemployment, should be changed.

श्री सी० सी० देसाई (साबरकंठा) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रधान मन्त्री की महान सफलता के लिए उन्हें बधाई देता हूं। अब वह अपने चुनाव घोषणा पत्र में घोषित वचनों को क्रियान्वित कर सकेंगी।

मेरी पार्टी गरीबी को समाप्त करने, बड़े उद्योगों का विकास करने, राष्ट्रीय आय की बरबादी को रोकने और शिक्षित तथा अशिक्षित लोगों में व्याप्त बेरोजगारी की समस्या को हल करने में पूरा सहयोग देगी। ये कार्यक्रम अविभाजित कांग्रेस पार्टी के 1969 में बंगलौर में पारित दस-सूत्रीय कार्यक्रम से लिये गये हैं। समाज के निर्धन वर्गों के व्यापक हितों को ध्यान में रखकर हम इनका समर्थन करेंगे।

मैं प्रधान मन्त्री को यह याद दिलाना चाहता हूं कि सत्ता भ्रष्टाचार की जनक है और पूर्ण सत्ता से व्यापक भ्रष्टाचार पैदा होता है। अब हम व्यापक भ्रष्टाचार को और अधिक सहन नहीं कर सकते हैं।

प्रिवी पर्स को संवैधानिक तरीके से समाप्त करने सम्बन्धी सरकार के निर्णय का हम स्वागत करते हैं। अगर सरकार पिछले साल ही ऐसा करती, तो सरकार और उच्चतम न्यायालय के मध्य इस अवांछित विवाद से बचा जा सकता था। भूतपूर्व विधि मन्त्री ने विधि मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय और महान्यायवादी की सलाह को नहीं माना और मान्यता को समाप्त करने का आदेश जारी कर दिया था जिसका परिणाम सर्वविदित है। हम आशा करते हैं कि नये विधि मन्त्री, जो उच्च न्यायालय के एक विशिष्ट न्यायाधीश रह चुके हैं, अपने मन्त्रालय की सलाह पर समुचित ध्यान देंगे और अपने राजनैतिक विचारों को उन पर नहीं थोपेंगे।

महान्यायवादी से परामर्श करना आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी मन्त्री की सनक और स्वभाव के अनुरूप ही विधि मन्त्रालय द्वारा सलाह दी जाती रही है। ऐसा करना इसलिए भी आवश्यक है, क्योंकि सरकार और प्राइवेट संस्थानों की स्थिति समान नहीं है। सरकार को

कानूनी सलाह निःशुल्क मिलती है, जबकि प्राइवेट पार्टी को न्यायालय से न्याय प्राप्त करने के लिए जेब से पैसा खर्च करना पड़ता है।

विदेश नीति के मामले में, हम तटस्थता की नीति का समर्थन करते हैं। तटस्थता की नीति सच्चे अर्थ में गुट-निरपेक्ष नीति होनी चाहिए, पिछले अनेक वर्षों की तरह नहीं, जैसा कि अरब देशों और अफ्रीकी देशों के प्रति तुष्टीकरण की नीति अपनाई जाती रही है।

मैंने पूर्वी अफ्रीका के देशों और दक्षिण अफ्रीका की यात्रा की है, इसलिए मैं वहां के नागरिकों की स्थिति से पूरी तरह अवगत हूं। केन्या, उगाण्डा और तन्जानिया यद्यपि भारत के मित्र राष्ट्र हैं, परन्तु वहां के रहने वाले भारतमूलक नागरिकों की स्थिति दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतमूलक नागरिकों से किसी भी हालत में अच्छी नहीं है। दक्षिण अफ्रीका के लिए हम इसे रंगभेद की नीति कहते हैं, परन्तु यह स्थिति भी उतनी ही बुरी है। परन्तु हमारा विदेश कार्यालय इस बारे में मौन है। वह कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है।

यही स्थिति अरब देशों के बारे में है। मैं इस सन्दर्भ में इसरायल का उल्लेख नहीं करना चाहता। अरब देशों की मित्रता की पोल तब खुलती है, जब हमारा अपने निकटतम पड़ौसी से छोटा सा भी संघर्ष होता है। भारतीय हवाई जहाज के अपहरण और उसके लाहौर हवाई अड्डे पर जलाये जाने की घटना को ही ले लीजिए। बंगला देश के बेतार केन्द्र के अनुसार इस षड़यन्त्र में भुट्टो का हाथ था। किसी भी अरब देश ने पाकिस्तान के विरुद्ध एक भी शब्द नहीं कहा। अगर भारत में इस प्रकार की घटना होती, तो ये देश भारत की घोर भर्त्सना करते। अतः हमें अरब देशों के प्रति तुष्टीकरण की नीति को छोड़ देना चाहिए।

अरब लीग का उदाहरण ही ले लीजिए। इस देश में इसका कार्यालय होने की क्या तुक है ? अरब लीग को राजनैतिक मान्यता देने का क्या औचित्य है ? क्या अन्य किसी देश ने भी ऐसा किया है ? हमारी सरकार तो अरब राष्ट्रों के हितों के आगे अपने देश के हितों की बलि चढ़ा देती है। मुझे आशा है कि यह शक्तिशाली सरकार अब इस बीमारी से मुक्त हो जायेगी।

अब मैं आजकल पाकिस्तान में हो रही घटनाओं के बारे में कहना चाहूंगा। एक दो दिन में पूर्वी पाकिस्तान अर्थात् बंगला देश एक स्वाधीन प्रभुसत्ता सम्पन्न राष्ट्र बन जायगा। हमें बंगला देश की जनता को यह पूर्ण आश्वासन देना चाहिए कि उस देश की जनता और समस्याओं के प्रति हमें पूरी सहानुभूति है। ढाका में हमारा उप-उच्चायोग है, उसे तत्काल ही दूतावास का दर्जा दे देना चाहिए और एक वरिष्ठ अधिकारी को वहां नियुक्त कर देना चाहिए। हमारे विदेश विभाग को, अगले कुछ दिनों में आने वाले गम्भीर दायित्व को संभालने के लिए अभी से तैयारी करनी चाहिए।

पश्चिम पाकिस्तान में भी इसी प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और वहां भी पंजाब, सिन्ध, सीमान्त प्रान्त और बलूचिस्तान स्वतन्त्र हो सकते हैं।

मैंने अपनी सेवा के चार वर्ष पाकिस्तान में बिताये हैं और मैं मौलाना भासानी तथा शेख मुजीबुर रहमान से अच्छी तरह परिचित हूं। वे भारत के प्रति मित्रता का भाव रखते हैं। उस देश के स्वाधीन होने पर हमें भी मित्रता की भावना प्रदर्शित करनी चाहिए। भारत और बंगला देश के बीच वही सम्बन्ध होने चाहिए जो अमेरिका और कनाडा के बीच स्थापित है।

पूर्वी पाकिस्तान की घटनाओं से हमें सबक सीखना चाहिए। भौगोलिक और राजनैतिक परिस्थितियां कुछ भी क्यों न हों, कोई भी समुदाय जनता के अन्य किसी वर्ग पर उसकी इच्छा के बिना शासन नहीं कर सकती। जम्मू तथा कश्मीर में ठीक चुनावों के अवसर पर जनमत मोर्चे पर प्रतिबन्ध लगाने की क्या आवश्यकता थी? इन लोगों को चुनाव लड़ने और जनता को इनके बारे में राय व्यक्त करने का अवसर नहीं दिया गया है। अगर इन्हें चुनाव लड़ने का अवसर दिया जाता, तो दो ही परिणाम होते—मिर्जा अफजल बेग और शेख अब्दुल्ला जैसे व्यक्ति चुनाव लड़ते और चुनाव में हारते, तब उन्हें अपनी वास्तविक स्थिति का पता चलता। दूसरी स्थिति यह होती कि वे चुनावों में जीत जाते और उन्हें इस सदन में आकर संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेनी पड़ती। संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेने पर विलय के प्रति विवाद उठाने का प्रश्न ही नहीं उठता। यह सब प्रजातान्त्रिक ढंग से हो सकता था।

परन्तु सरकार का एक और ही उद्देश्य था। केन्द्रीय सरकार जम्मू तथा कश्मीर की सादिक के नेतृत्व वाली अलोकप्रिय सरकार को संरक्षण देना चाहती थी और इसीलिए चुनावों की सामान्य प्रक्रिया में हस्तक्षेप किया गया। यह स्वीकार करना होगा कि यह देश वहां की जनता के समर्थन के बिना वहां अपना शासन कायम नहीं रख सकता है। हमें वहां की जनता को निष्पक्ष और मुक्तरूप से जन-प्रतिनिधि चुनने और सरकार बनाने का अवसर देना चाहिए। लोगों की भावनाओं को दबा देने से हमें उसी समस्या का सामना करना पड़ेगा, जिस समस्या का आज याह्या खां को बंगला देश में सामना करना पड़ रहा है।

श्री दन्दावते (राजापुर) : कश्मीर संविधान सभा बहुत पहले ही इस प्रश्न का निर्णय कर चुकी है।

श्री सी० सी० देसाई : यह तो मुझे भी पता है। परन्तु यह सरकार यह सोचती है कि अगर शेख अब्दुल्ला वहां सत्ता में आ गये, तो यह सादिक सरकार के हित में नहीं होगा अथवा ये यह सोचते हैं कि विलय का प्रश्न फिर से उठ खड़ा होगा। इनमें से कोई सी भी बात सही नहीं है।

शेख अब्दुल्ला के बारे में प्रतिबन्धात्मक आदेश जारी किया हुआ है। चुनावों की समाप्ति के पश्चात् भी उस आदेश के लागू रहने का क्या औचित्य है? मुझे आशा है कि सरकार शेख अब्दुल्ला और मिर्जा अफजल बेग पर लगे प्रतिबन्ध-आदेश की अवधि में वृद्धि नहीं करेगी और विचारों की अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतन्त्रता प्रदान करेगी। कश्मीर की चर्चा के सम्बन्ध में, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि कश्मीर राज्य निवासी एक व्यक्ति सोवियत संघ में हमारे राजदूत हैं। उन्होंने पिछले एक वर्ष के दौरान अपना अधिकांश समय रूस में बिताने की बजाय कश्मीर में

बिताया है और राजदूत पद के वेतन, भत्ते व अन्य सुविधाओं का पूरा उपभोग किया है। सरकार को इस सम्बन्ध में पूरी तरह जांच पड़ताल करनी चाहिए।

नर्मदा परियोजना के बारे में, मैं अत्यधिक चिन्तित हूं। मेरे एक मित्र ने कल इसका उल्लेख किया था। वह भी इस बारे में अत्यधिक चिन्तित थे, क्योंकि वह प्रभावित क्षेत्र से आते हैं। नर्मदा परियोजना में केवल गुजरात ही नहीं, बल्कि सम्पूर्ण राष्ट्र की रुचि है। मुझे मुख्य मन्त्री से पता चला है कि न्यायाधिकरण को अपना कार्य पूरा करने में पांच वर्ष लगेंगे। मध्य प्रदेश सरकार को कानूनी परामर्श प्राप्त करने के लिए 8000 रु० प्रति दिन व्यय करना पड़ रहा है। अब पांच वर्ष में होने वाले भारी व्यय की कल्पना की जा सकती है। परियोजना के पूरा होने में 10 वर्ष का समय लगेगा। इस परियोजना के पूरे हो जाने पर हम सारे देश की जनता का भरण-पोषण ही नहीं कर सकते, बल्कि अनाज का निर्यात भी कर सकते हैं। विश्व बैंक भी सहायता देने के लिए तैयार है, परन्तु इस देश में परियोजना के बारे में अभी तक निर्णय नहीं हो सका है। अब केन्द्रीय सरकार का भारी बहुमत है और उसे न्यायाधिकरण के हाथ से यह मामला अपने हाथ में ले लेना चाहिए, ताकि इस सम्बन्ध में शीघ्र निर्णय किया जा सके। गुजरात की जनता उसे स्वीकार करेगी और मुझे आशा है कि मध्य प्रदेश की जनता भी उस निर्णय को स्वीकार कर लेगी। इस परियोजना में महाराष्ट्र और राजस्थान का आंशिक रूप से ही हित निहित है। समुद्र में बहकर जाने वाले पानी का संचय करके सिंचाई कार्य किया जाना चाहिए और बिजली का उत्पादन शीघ्रता से होना चाहिए, ताकि समग्र देश का हित हो। इस परियोजना के निर्माण को प्रधान मन्त्री को उच्च प्राथमिकता देना चाहिए।

मैं प्रधान मन्त्री की भारी विजय को स्वीकार करता हूं और उन्हें बधाई देता हूं। हम उनकी सराहना करते हैं। अपनी पार्टी की ओर से मैं यह आश्वासन देना चाहता हूं कि हम उनकी सरकार को पूर्ण समर्थन और सहयोग देंगे बशर्ते वह कोई ऐसा काम न करे, जो देश के हितों के विरुद्ध हों।

****श्री एम० एस० शिवस्वामी** (तिरूचेंडूर) : अध्यक्ष महोदय, मेरे विचार से पांचवे आम चुनाव में किसी व्यक्ति अथवा राजनीतिक दल विशेष की जीत नहीं हुई है, बल्कि इसमें प्रगति के समर्थकों की जीत हुई है। चौथी लोक सभा में मेरे दल द्रविड़ मुनेत्र कषगम ने प्रगति के लिए सरकार द्वारा लाये गये सभी विधेयकों का समर्थन किया है। उदाहरण के लिए भूतपूर्व शासकों की निजी थैलियों की समाप्ति विधेयक तथा बैंक राष्ट्रीयकरण विधेयक आदि। हमें प्रगति की दिशा में और आगे बढ़ना चाहिए। इस सम्बन्ध में मेरा यह सुझाव है कि बीमा कम्पनियों, सभी अनुसूचित बैंकों तथा बड़े-बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए। क्योंकि बैंक राष्ट्रीयकरण विधेयक तथा निजी थैलियों को समाप्त करने वाले राष्ट्रपति के अध्यादेश को सर्वोच्च न्यायालय ने अवैध घोषित कर दिया है, इसलिए ऐसे प्रगतिवादी कार्य करने के लिए संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता है। अब शासक दल को दो-तिहाई बहुमत प्राप्त है। अतः वह

**तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

**Summarised translated version based on English translation of speech delivered in Tamil.

संविधान में ऐसे संशोधन कर सकता है, जो प्रगतिवादी कार्यों के लिए अपेक्षित हैं। अब प्रधानमंत्री को संविधान में संशोधन करने का साहस करना चाहिए जिससे समाज के दुर्बल तथा पिछड़े वर्गों और निर्धन लोगों का उद्धार किया जा सके।

द्रविड़ मुनेम कषगम दल एक राज्य स्तर का दल है। हमारा दल तमिलनाडु के प्रगतिवादी मोर्चे का एक घटक है। हमारे दल ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में समाज के निर्धन वर्गों को कुछ आश्वासन दिये हैं। निर्धन एवं पिछड़े लोगों के कल्याणार्थ राज्य में शासक दल को वित्त की आवश्यकता पड़ती है। किन्तु आय के सभी स्रोत केन्द्रीय सरकार के हाथ में है। औद्योगिक ऋण तथा विकास निगम, औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक जैसी सभी वित्तीय संस्थाएं केन्द्रीय सरकार के हाथ में हैं। लोगों की आशाओं तथा उन्हें दिये गये आश्वासनों को पूरा करने के लिए राज्य सरकार को धन चाहिए। मेरा अनुरोध है कि संविधान में संशोधन करते समय केन्द्रीय सरकार मेरे इन सुझावों पर ध्यान दें।

वर्तमान व्यवस्था के अनुसार केन्द्रीय सरकार औद्योगिक लाइसेंस जारी करती है। किन्तु लाइसेंस दिये जाने के बाद औद्योगिक संस्थान के लिए भूमि, जल, बिजली और उसमें राज्य के हिस्सों के लिए धन राज्य सरकार को देना पड़ता है। एक ओर सरकार को भारी भार उठाना पड़ता है और दूसरी ओर केन्द्र को निगम कर प्राप्त होता है। इस सम्बन्ध में मेरा यह सुझाव है कि औद्योगिक लाइसेंस देने की शक्ति राज्य सरकार के पास होनी चाहिए। साथ ही निगम कर का पूरा लाभ राज्य सरकारों को ही मिलना चाहिए। योजना आयोग तथा राष्ट्रीय विकास परिषद् जैसी संस्थाएं स्वायत्तशासी होनी चाहिए। राज्य के लिए अलग से राज्य योजना बोर्ड की व्यवस्था होनी चाहिए। संविधान में इस आशय को लेकर संशोधन किया जाना चाहिए कि राज्य सरकारें वित्तीय मामलों में आत्मनिर्भर हो सके और वे स्वतंत्रतापूर्वक कार्य कर सकें।

वर्ष 1971-72 के अन्तरिम बजट के 240.30 करोड़ रुपये के घाटे को देखते हुए ऐसा लगता है कि सामान्य बजट में भारी कराधान होगा। मैं वित्त मंत्री महोदय से यह अनुरोध करता हू कि सामान्य बजट में कर इस प्रकार से लगाये जाये जिससे उनका भार निर्धन, मध्यवर्गीय लोगों और छोटे व्यापारियों पर न पड़े।

तमिलनाडु से प्याज का निर्यात श्री लंका को होता है। अब यह निर्यात राष्ट्रीय कृषि संघ के निर्यात डिविजन द्वारा किया जाता है। इससे किसानों को निर्यात का पूर्ण लाभ नहीं मिल पाता। अतः केन्द्रीय सरकार को यह व्यापार या तो अपने हाथ में ले लेना चाहिए अथवा निर्यात का पूरा लाभ लोगों को मिलना चाहिए।

अन्त में मैं फिर एक बार आपसे अनुरोध करता हूं कि सरकार को, संविधान में संशोधन करना चाहिये जिससे समाज के पिछड़े तथा निर्धन वर्ग के कल्याण तथा उद्धार के लिये प्रगतिशील कार्यकलाप करने वाली बाधाएं दूर हो जाँय।

इसके पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 1 बजे म० प० पर स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for Lunch at Thirteen hours.

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् 2 बजकर 4 मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई ।

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at Four minutes past Fourteen hours

[**श्री आर० डी० भण्डारे पीठासीन हुए**
Shri R. D. Bhandare *in the Chair*]

पूर्व बंगाल की स्थिति के बारे में
RE : DEVELOPMENT IN EAST BENGAL

श्री समर गुह (कन्टाई) : श्रीमन्, मैं आपका ध्यान एक बड़े ही अविलम्बनीय महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं । समाचार प्रसारण से पता लगता है कि बंगला देश में गृह-युद्ध शुरू हो गया है । वहां पर पश्चिमी पाकिस्तान से 60,000 सैनिक आ चुके हैं और बड़े नगरों के साथ साथ अपने मोर्चे लगा रहे हैं । उन्होंने वहां सैनिक शासन लागू कर दिया है और ढाका तथा अन्य नगरों में कर्फ्यू लगा दिया है । उन्होंने देखते ही बंगालियों को गोली मार देने के आदेश जारी कर दिए हैं । उन्होंने ढाका बेतार केन्द्र को अपने कब्जे में कर लिया है । पूर्वी पाकिस्तानी राइफल्स पाकिस्तानी सेना से लड़ रही है । वहां सैकड़ों लोगों को कत्ल किया जा रहा है । पाकिस्तान कोलम्बों हवाई अड्डे को प्रयोग में ला रहा है । मेरा भारत सरकार से यह अनुरोध है कि वह श्री लंका सरकार को यह लिखे कि वह पाकिस्तान के सैनिक अथवा असैनिक विमानों में शेख मुजिबुर्रहमान या अन्य नेताओं को पश्चिमी पाकिस्तान को ले जाने की अनुमति न दे । दूसरे, भारत को आकाशवाणी से बंगला देश के समाचार प्रसारित करने चाहिए क्योंकि ढाका बेतार केन्द्र बंगालियों से छीन लिया गया है । बंगला देश की संग्राम परिषद् नें अब पहली बार भारत और श्री लंका से यह अपील की है कि वे बंगालियों के मुक्ति संग्राम के समर्थन में विश्व जनमत तैयार करें ।

मैंने इस विषय पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और अल्पकालिक चर्चा का नोटिस दिया है। यह मामला महत्वपूर्ण है । अतः सरकार को इस मामले को गम्भीरतापूर्वक लेना चाहिए ।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : श्रीमान्, पूर्वी पाकिस्तान में न केवल सैनिक शासन लागू किया गया है बल्कि देखते ही लोगों को गोली मारने का आदेश भी दे दिया गया है । संवाददाताओं को भी अपने निवासों से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है । साम्राज्यवादियों के एजेन्ट यह नहीं चाहते कि पूर्वी पाकिस्तान में लोकतंत्र सफल हो । पूर्वी पाकिस्तान में लोकतंत्र की हत्या हो रही है । अतः मेरा सुझाव है कि हमें शेख मुजिबुर्रहमान को पूर्ण समर्थन देना चाहिए, ताकि वहां लोकतंत्र कायम हो सके ।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : यह एक ऐसा मामला है जिसमें हम जैसे व्यक्तियों की हत्या की जा रही है । आज जो पूर्वी पाकिस्तान में हो रहा है, उसके प्रति हमें आंखें नहीं मूंदनी चाहिए । हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप सरकार से इस सम्बन्ध में सदन को

जानकारी देने के लिए कहें । साथ ही सरकार को यह भी बताना चाहिए कि पूर्वी पाकिस्तान में लोगों की नृशंस हत्या को रोकने के लिए हमारी सरकार क्या कर रही है ?

संसद्-कार्य पोतपर्टरवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : माननीय सदस्यों ने सदन में जो चिन्ता एवं सहानुभूति प्रकट की है, सरकार स्वभावतः उसमें भागीदार हैं। हम अपने स्रोतों से जानकारी एकत्र करेंगे और यथासम्भव शीघ्र उसके बारे में वक्तव्य दे दिया जायेगा ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : वक्तव्य आज ही क्यों न दिया जाए ?

श्री राज बहादुर : श्रीमान्, हमें तत्सम्बन्धी जानकारी और तथ्य एकत्र करने होते हैं ।

श्री समर गुह : मैं इस बात पर बल देना चाहता हूं कि श्री मुजिबुर्रहमान का जीवन खतरे में है ।

Shri Ishaq Sambhli (Amroha) : The Armed forces of West Pakistan are destroying East Pakistan: we should raise this matter in U. N. O.

सभापति महोदय : संसदीय कार्य मंत्री ने आपकी बात सुन ली है और वह वैदेशिक कार्य मंत्री तक इस बात को पहुंचा देंगे और इस सम्बन्ध में सरकार की ओर से एक वक्तव्य आज या कल दे दिया जायेगा । **(अन्तर्बाधाएं)**** कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा । **(अन्तर्बाधाएं)****

श्री राज बहादुर : यह एक बड़ा ही नाजुक मामला है । बड़े नाजुक क्षेत्र से सम्बन्धित है। स्वतंत्रता तथा लोकतंत्र के लिए हमें बड़ी सावधानी और सजगता से काम करना है । मामले के सभी पहलुओं पर विचार करके सरकार वक्तव्य देगी ।

सामान्य बजट, 1971-72—सामान्य चर्चा और लेखा अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1971-72—जारी

GENERAL BUDGET, 1971-72—GENERAL DISCUSSION AND DEMANDS FOR GRANTS ON ACCOUNT (GENERAL), 1971-72 (Contd.)

श्री नारायण चन्द (हमीरपुर) : वित्त मंत्री ने देश के आर्थिक जीवन को सुधारने के लिए जिन प्रस्तावों का सुझाव दिया है, उनके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं । बेरोजगारी

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

**Not recorded.

की समस्या को गम्भीर रूप से लिया गया है। रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। बजट में कलकत्ते के लिए एक नवीन औद्योगिक निगम की स्थापना की व्यवस्था की गई है। इससे कलकत्ता से उद्योग पलायन पर रोक लग जायेगी। सरकार के इस कार्य का मैं समर्थन करता हूं। इस व्यवस्था के परिणामस्वरूप बंगाल राज्य से पूंजी का अन्यत्र पलायन नहीं होगा। इससे बंगाल की अर्थव्यवस्था और आगे नहीं बिगड़ेगी।

जहां तक घाटे की अर्थव्यवस्था का सम्बन्ध है, इस सम्बन्ध में मेरा यह कहना है कि जो देश विकास के मार्ग पर होता है, उसके सामने घाटे की अर्थव्यवस्था प्रायः आ ही जाती है और वह घाटे की अर्थव्यवस्था के भार को सहन भी कर जाता है। यह कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिससे घृणा की जाए अथवा जिसकी आलोचना की जाए। साथ ही मैं बैंकों के राष्ट्रीयकरण की कार्यवाही का स्वागत करता हूं। वित्त मंत्री के वक्तव्य से पता चलता है कि जुलाई 1969 के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की 145 शाखाएं खोली जा चुकी हैं। इससे दूरगामी गांवों में रहने वाले लोगों को भी बैंकों की सुविधाएं प्राप्त होंगी। भविष्य में बैंक राष्ट्रीयकरण का और भी अधिक लाभ होगा।

मैं हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधि हूं। मेरे राज्य की कुछ अपनी समस्याएं हैं। हमीरपुर निर्वाचन क्षेत्र में 4.22 लाख लोग मतदान के अधिकारी हैं, किन्तु वहां एक मीटर लम्बी भी रेलवे लाईन नहीं है। वहां ज्वालामुखी का प्रसिद्ध मन्दिर भी है। रेलवे लाइन भाखड़ा बांध पर ही समाप्त हो जाती है। मेरा यह सुझाव है कि इसको ऊना तक बढ़ाया जाना चाहिए। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कुछ ऐसे भी स्थान हैं जिनका बुद्ध धर्म की दृष्टि से महत्व है। रेवंजा वही स्थान है जहां पदसम्भव का जन्म हुआ था, जिन्होंने बुद्ध सन्देश का प्रचार किया था। इस स्थान को रेलवे लाइन द्वारा जोड़ा जाना चाहिए।

हिमाचल प्रदेश की एक अन्य गम्भीर समस्या यह है कि वहां पीने के पानी की बहुत कमी है। यह विधि का कैसा विचित्र विधान है कि जिस हिमाचल प्रदेश में हिमनदियां बहती हैं, जो प्रदेश बर्फ की चादर ओढ़े रहता है वहां के निवासियों को पीने का पानी लाने के लिए मीलों जाना पड़ता है। कुछ स्थानों पर बर्षा ऋतु के पानी को जमा करके पूरे वर्ष काम चलाना पड़ता है। पीने के पानी की समस्या इतनी बड़ी है और उस पर इतना अधिक खर्च होगा कि राज्य सरकार को इस समस्या को अपने वित्त साधनों से सुलझाना बहुत कठिन होगा। अतः मेरा केन्द्रीय सरकार से अनुरोध है कि वह इस समस्या का समाधान करे। एक और भी समस्या है और वह है हिमाचल प्रदेश से प्रतिभा-पलायन की। यदि हिमाचल प्रदेश में कुछ उद्योग स्थापित कर दिए जाएं, तो वहां से होने वाली प्रतिभा-पलायन को रोका जा सकता है। हमीरपुर के क्षेत्र में राल, चीड़ तथा अन्य प्रकार का कच्चा माल उपलब्ध है। वहां कागज के मिल और सीमेंट के कारखाने लगाए जा सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि अगले बजट में केन्द्रीय सरकार हिमाचल प्रदेश में पेय जल की व्यवस्था के लिए रेलवे लाइनों को बढ़ाने के लिए और उद्योगों की स्थापना के लिए धन की व्यवस्था करेंगी।

श्री वीरेन्द्र अग्रवाल (मुरादाबाद) : प्रारम्भ में मैं माननीय मंत्री को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने देश की समस्याओं के प्रति व्यवहारिक तथा वास्तविक दृष्टिकोण अपनाया है। वित्त मंत्री महोदय ने अपने भाषण में जनता की गरीबी को हटाने से सम्बन्धित सरकार की नीति का पुनः उल्लेख किया है। जनता भी पिछले 23 वर्षों से इसी प्रकार के वायदे सुनती आ रही है तथा अब वह चाहती है कि उन वायदों को पूर्ण किया जाये।

जनता की गरीबी का सीधा सम्बन्ध मूल्यों की स्थिरता से है। जब से श्री चह्वाण ने वित्त मंत्रालय का भार सम्भाला है तभी से उन्होंने घोषणा की है कि मैं मूल्यों को स्थिर करने के कार्य को पूरी प्राथमिकता दूंगा। माननीय मंत्री ने यह भी स्वीकार किया है कि वस्तुओं के मूल्यों में लगातार वृद्धि होती जा रही है। किन्तु साथ ही उन्होंने इस घटना को विश्वव्यापी घटना भी माना है। मैं समझता हूं कि यदि हम वास्तव में मूल्यों को स्थिर रखने में रुचि रखते हैं तो सरकार को एक निश्चित नीति निर्धारित करनी होगी तथा उत्पादन में भी वृद्धि करनी होगी। हमारे माननीय राष्ट्रपति जी ने भी इस समस्या की ओर संकेत करते हुए कहा है कि उत्पादन के क्षेत्र में आने वाली सभी समस्याओं को दूर किया जाना चाहिए। मेरे विचार से उत्पादन में वृद्धि के हेतु यदि किन्हीं सीमाओं तक घाटे की अर्थ-व्यवस्था भी हो तो इससे भी हमारे संसाधनों में वृद्धि हो सकती है। इस समय आवश्यकता इस बात की है कि नीतियों और प्रणालियों को पुनः निर्धारित किया जाये।

वित्त मंत्री महोदय को नियमित बजट प्रस्तुत करते समय संभव है अतिरिक्त कर लगाने की आवश्यकता पड़े। किन्तु उन्हें इस सम्बन्ध में यह ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा करने से वस्तुओं के मूल्यों में और भी वृद्धि हो जायेगी। यदि सरकार मूल्यों में स्थिरता लाना ही चाहती है तो उसे उत्पादकों को कर से कुछ मुक्ति अवश्य देनी चाहिए। मेरा यह भी सुझाव है कि वथालिगंम समिति की सभी सिफारिशों को स्वीकार किया जाये। 7,500 रुपयों से कम आय वाले व्यक्तियों पर कर नहीं लगाया जाये जिससे सीमित आय वाले व्यक्तियों को कर में कुछ राहत मिले।

माननीय मंत्री ने यह सच ही कहा है कि बेरोजगारी की गम्भीर समस्या की भी उपेक्षा नहीं की जा सकती है। उन्होंने स्वीकार किया है कि गरीबी और बेरोजगारी की समस्या जसी की तैसी बनी हुई है। आज देश में लगभग 150 से 160 लाख तक व्यक्ति बेरोजगार हैं। मेरा निवेदन है कि रोजगारों में इस प्रकार से वृद्धि की जाये कि वस्तुओं का उत्पादन बढ़ जाये।

लगभग एक करोड़ व्यक्तियों को अब तक रोजगार नहीं मिल सका है तथा चौथी पंच-वर्षीय योजना अवधि में बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या 60 से 70 लाख और बढ़ने से उनकी कुल संख्या 1.6 करोड़ से 1.7 करोड़ हो जायेगी। रोजगार कार्यालयों में रोजगार के लिये पंजीकरण के आंकड़ों के अनुसार गत वर्ष मैट्रिक पास व्यक्तियों की संख्या 18.75 लाख, स्नातकों की संख्या 1.86 लाख तथा इन्जीनियरों की संख्या 53,118 थी। जब उत्पादक-रोजगार की वृद्धि-दर राष्ट्रीय उत्पादन से बहुत कम रह जाती है तब योजना में केवल व्यवधान ही उपस्थित नहीं होता अपितु उसे क्रियान्वित करने में भी कठिनाई आ जाती है। किसी भी देश की सरकार

समस्त बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार नहीं दे सकती। इस समस्या का समाधान केवल स्वयं-रोजगार का सिद्धांत ही कर सकता है। यदि उत्पादन के छोटे एककों पर आधुनिक प्रौद्योगिकी को लागू किया गया तो प्रत्येक उद्योग वर्कशाप में बदल सकता है किन्तु इसके लिए छोटे और बड़े उद्योगों में प्रभावोत्पादक समन्वय स्थापित रखने की आवश्यकता है। बेरोजगारी की समस्या इतनी गम्भीर हो गयी है कि यदि उसे शीघ्र ही सुलझाने का प्रयास नहीं किया गया तो संसदीय प्रजातंत्र प्रणाली को खतरा उत्पन्न हो सकता है। अर्थ व्यवस्था सम्बन्धी नीतियां इतनी दोषपूर्ण सिद्ध हो चुकी हैं कि उनके द्वारा सभी बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार नहीं मिल सकता। यदि 50 करोड़ रुपयों के कार्यक्रम को राष्ट्र-निर्माण सम्बन्धी कुछ गतिविधियों के साथ जोड़ दिया जाये तो इससे पर्याप्त लाभ हो सकता है। सरकारी क्षेत्र में विस्तार किये जाने से यह सुनिश्चित नहीं है कि 48,000 कुंठाग्रस्त बेरोजगार इन्जीनियरों को रोजगार मिल ही जाये।

चौथी योजना के उद्योग में 9 प्रतिशत वृद्धि-दर की आवश्यकता पर बल दिया गया है किन्तु पूरे वर्ष में औद्योगिक उत्पादन में लगभग 6 प्रतिशत की ही वृद्धि होने की सम्भावना है। क्या वित्त मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि भारी पूंजी लगाने के बावजूद भी बेरोजगारी की समस्या क्यों बनी हुई है? जब तक सरकार तथा जनता गलत दिशा में पूंजी लगाने के कार्य को नहीं रोकेगी तब तक अर्थ-व्यवस्था में बाधा बनी रहेगी तथा समाज में तनाव बना रहेगा।

हमें यह बात स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि केवल धमकियों और बुरा भला कहने से ही न किसी वस्तु का उत्पादन हो सकता है और न सामाजिक न्याय मिल सकता है। किसी नये औद्योगिक कारखाने के स्थापित किये जाने या किसी का विस्तार किये जाने पर कोई अतिरिक्त नियंत्रण लगाने से मूल्यों और रोजगार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। निर्यात के सम्बन्ध में प्रतिकूल नीति अपनाई जा रही है। हमने निर्यात के सम्बन्ध में इतनी बाधाएं उपस्थित कर रखी है कि चौथी योजना के लिए निर्धारित लक्ष्यों की कभी प्राप्ति नहीं हो सकती। सरकारी क्षेत्र के उपक्रम पूर्णरूप से विफल हो गये हैं क्योंकि वे अपनी अधिष्ठापित क्षमता के अनुरूप कार्य नहीं कर रहे हैं तथा उनमें प्रबन्ध सम्बन्धी कार्यकुशलता की भारी कमी है। यदि राष्ट्र की खून पसीने की कमाई को इनमें इसी प्रकार नष्ट होने दिया जायेगा तो हमारी अर्थव्यवस्था कभी भी नहीं सुधर सकती।

राष्ट्रीयकृत बैंकों का उल्लेख करते हुए माननीय मंत्री ने कहा है कि उन्होंने वर्ष 1969 के पूर्वार्द्ध में प्रतिमास औसतन 145 नई शाखाएं स्थापित की है। इस सम्बन्ध में मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह सच नहीं है कि इसमें उनके प्रशासन पर होने वाले व्यय में वृद्धि हुई है किन्तु उनमें जमा हुई धनराशि की मात्रा संतोषजनक नहीं है जिसे उत्पादन कार्यों में लगाया जा सके? बैंक राष्ट्रीयकरण के उद्देश्य अवश्य ही प्रशंसनीय कहे जा सकते हैं किन्तु प्रश्न यह है कि क्या वे अपने कार्य में सफल हो गये हैं तथा क्या उन्होंने जनता की आर्थिक स्थिति में कोई सुधार किया है? इस बात पर विचार किया जाना अत्यन्त आवश्यक है कि क्या इन बैंकों ने उत्पादक योजनाओं को कोई वित्तीय सहायता दी है तथा क्या उनके द्वारा दिये गये ऋण से कृषि और

कारखानों के उत्पादन में कोई वृद्धि हुई है ? मेरे विचार से इन बैंकों ने ऐसे ही व्यक्तियों को ऋण दिये हैं जिनमें उसको वसूल नहीं किया जा सकता है। क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि बैंक राष्ट्रीयकरण के पश्चात् ऐसे ऋणों में कितने अनुपात में वृद्धि हुई है ?

केन्द्र सरकार का अन्तरिम बजट केवल एक औपचारिता का लेखा है। गत वर्ष अतिरिक्त कर लगाये गये थे किन्तु फिर भी चालू वर्ष में 230 करोड़ रुपयों का कुल घाटा दिखाया गया है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि वित्त व्यवस्था अभी व्यवहार्य नहीं है। माननीय मंत्री ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि इस घाटे को अतिरिक्त कर लगाकर पूर्ण किया जायेगा अथवा उसे घाटे की अर्थ-व्यवस्था द्वारा नये नोट छाप कर पूरा किया जायेगा। कर की दरें इस समय पराकाष्ठा पर पहुंच गई हैं तथा अब उनमें और वृद्धि करने से निश्चित रूप से घाटा ही होगा। कर की बढ़ी हुई दरों के कारण लोग उद्योगों में पूंजी नहीं लगा रहे हैं तथा उन धन का चोर बाजारी में उपयोग किया जा रहा है। अतः इस समय इस बात की आवश्यकता है कि उत्पादन शुल्क आदि में कुछ राहत दी जाय जिससे साधारण व्यक्ति के पास उद्योगों में लगाने के लिए कुछ धन बच जाये।

वर्ष 1970-71 के लिए बजट प्रस्तुत करते समय प्रधान मंत्री ने 1500 रुपये तक की लाभांश-आय पर कर की छूट की घोषणा की थी किन्तु मेरे विचार से इसकी सीमा 3000 रुपये कर देनी चाहिए जिससे साधारण आदमी देश की औद्योगिक गतिविधि में सक्रिय रूप से भाग ले सके।

राजनीतिक स्थैर्य और आर्थिक समानता लाने के लिए आर्थिक और राजनीतिक शक्तियों के विकेन्द्रीयकरण की आवश्यकता है। यदि साधारण व्यक्ति की उपभोग-दर में कोई वृद्धि नहीं होती तो प्रजातंत्रीय समाजवाद का कोई अर्थ नहीं होगा। जनता में नई-नई आशाएं जागने तथा उन्हें भविष्य के सुनहरे स्वप्न दिखाने से कोई लाभ नहीं होगा यदि उन पर अधिक से अधिक कर थोपे जायेंगे। इससे तो उन्हें विवश होकर समझना पड़ेगा कि गरीबी उन्मूलन का नारा एक धोखा था, छल था।

श्री के० जी० देशमुख (अमरावती) : महोदय, माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत किये गये अन्तरिम बजट से स्पष्ट ज्ञात होता है कि सरकारी नीतियां प्रगतिवादी तथा समाजवादी हैं। रोजगार-प्रधान योजनाओं तथा समाज के आर्थिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों के व्यक्तियों को ऋण की सुविधाओं की व्यवस्था से यह बात सिद्ध हो जाती है। यह संतोष की बात है कि सरकार ने प्रत्येक परिवार के कम से कम एक सदस्य को रोजगार देने का निर्णय किया है। इसके साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि रोजगार देने के नियमों में कुछ त्रुटि होने के कारण प्रायः यह देखा गया है कि बहुत से परिवारों के लड़के लड़कियों को कोई नौकरी नहीं मिल पाई है यद्यपि वे इस योग्य हैं। अतः इस बात का ध्यान रखा जाय कि सभी परिवारों के सदस्यों के साथ समान व्यवहार हो। ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी अधिक है अतः उस ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। यह प्रसन्नता की बात है कि सरकार ने राज्य के प्रत्येक जिले के लिए ऐसी योजना बनाने के लिए कहा है। आशा है यह योजना शीघ्र बना ली जायेगी तथा ऐसे सभी परिवारों को रोजगार दे दिया जायेगा।

बजट की दूसरी महत्वपूर्ण बात बैंक राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में है। बैंक राष्ट्रीयकरण से ऋण पद्धति में पर्याप्त परिवर्तन आ गया है। अब ऋण-प्राप्त व्यक्तियों की कुल संख्या 3 लाख से 11 लाख हो गई है तथा ऋण की राशि भी लगभग दुगनी हो गई है। किन्तु इस बारे में भी बहुत कुछ करना शेष है। शिकायतें मिली हैं कि किसानों को वाणिज्यिक बैंकों से ऋण नहीं मिलता तथा उनसे भूमि के अतिरिक्त कोई अन्य जमानत भी मांगी जाती है। यह अनुचित है तथा इस विषमता को निश्चित रूप से समाप्त किया जाना चाहिये।

अपने बजट भाषण में माननीय मंत्री ने कहा था कि "व्यापारिक फसलों, विशेषकर कपास और तिलहन का उत्पादन अपर्याप्त रहा है तथा इसका औद्योगिक उत्पादन तथा मूल्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।" रूई के मामले में हमें बहुत पहले से ही हानि हो रही है तथा इसीलिये मैंने वैदेशिक व्यापार मंत्री महोदय से रूई निगम स्थापित करने का सुझाव दिया था। मैं इसके लिये आभारी हूं कि भारतीय रूई निगम की स्थापना दो मास पहले हो चुकी है। किन्तु इसके अतिरिक्त भारतीय रूई के मूल्यों तथा इसकी खरीद के बारे में अब तक कुछ नहीं किया गया है।

रूई के उत्पादन का लक्ष्य 80 लाख गांठें निर्धारित किया गया था किन्तु खेद है कि उसका उत्पादन और भी घटता जा रहा है। वर्ष 1965-66 में 86.6 लाख गांठ रूई का उत्पादन हुआ था किन्तु गत वर्ष केवल 65 लाख और इस वर्ष केवल 60 लाख गांठ रूई का ही उत्पादन हो सका है। उत्पादन में कमी आने के कारण हमें अमेरिका आदि देशों से लगभग 15 लाख से 20 लाख गांठ रूई का भारी मूल्य पर आयात करना पड़ रहा है। अमरीकी रूई की दो गांठों का मूल्य 2,200 रुपये है। इसी प्रकार की रूई गुजरात तथा महाराष्ट्र में उगाई जाती है तथा व्यापारी उत्पादकों को उसका मूल्य केवल 800 रुपया ही दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में रूई का उत्पादन कैसे बढ़ सकता है ?

व्यापारी किसानों का शोषण करते हैं। इसका उदाहरण यह है कि फसल आरम्भ होने के समय कपास का भाव 320 रुपया प्रति क्विंटल था किन्तु जब फसल पूरे जोरों पर थी तब कपास का भाव केवल 220 रुपया प्रति क्विंटल कर दिया गया था। ऐसी स्थिति में कपास उगाने वालों को क्या प्रोत्साहन है ?

कपास उगाने वाले क्षेत्रों में भारी वर्षा के कारण कपास का उत्पादन बहुत कम हुआ है किन्तु खेद की बात है कि उनको इस वर्ष कपास के उतने मूल्य भी नहीं दिये गये हैं जितने पिछले वर्ष दिये गये थे। इस सम्बन्ध में वैदेशिक व्यापार मंत्री से कई बार शिकायतें भी की गई हैं किन्तु उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि इस मामले की जांच की जाये।

कपास के मूल्यों में गिरावट आने के लिये वित्त मंत्री महोदय भी उत्तरदायी हैं। कपास व्यापारियों का कहना यह है कि कपास की खरीद के लिये दिये जाने वाले ऋण में 60 से 25 प्रतिशत तक की कमी कर दी गई है। मेरा निवेदन यह है कि मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में ध्यान दें।

इस आशय की भी शिकायतें मिली हैं कि रूई की मंडियों में किसानों से कोई व्यापारी कपास खरीदने के लिये तैयार नहीं है। व्यापारियों और सहकारी समितियों का कहना यह है कि हमारे पास पहले ही पर्याप्त मात्रा में रूई जमा है और उसे खरीदने के लिये कोई भी तैयार नहीं है। दूसरी ओर मिलों में रूई की कमी के कारण मिलों को बन्द किये जाने की धमकियां दी जा रही हैं तथा मिल मालिक उगांडा आदि देशों से रूई का आयात कर रहे हैं। गत तीन-चार महीनों में लगभग 5-6 लाख गांठ रूई का आयात किया गया है। यह विषमता का एक उदाहरण है। अतः मैं माननीय वित्त मंत्री तथा वैदेशिक व्यापार मंत्री से यह निवेदन करूंगा कि इस मामले की जांच की जाये तथा कपास उगाने वालों के साथ न्याय किया जाये।

श्री मधु दन्दावते (राजापुर) : सभापति महोदय, यद्यपि पूरा बजट प्रस्तुत किये जाने से पूर्व आर्थिक नीतियों के बारे में कुछ भी कहना कठिन है तथापि अन्तरिम बजट से भी सरकार की नीतियों के बारे में कुछ आभास मिल ही जाता है।

पहले हमारे आर्थिक विकास का प्रमुख सिद्धान्त स्थिर प्रगति था किन्तु अब वह सामाजिक न्याय के साथ मिल जुल गया है। व्यापक रूप से इसके दो उद्देश्य सामने आते हैं, अर्थात् गरीबी उन्मूलन तथा अर्थव्यवस्था को एकाधिकारियों के चंगुल से मुक्त करना। मेरे विचार से वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत इस बड़े उद्देश्यों की प्राप्ति होना सम्भव नहीं है। अतः इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये यह आवश्यक हो जाता है कि इन कार्यक्रमों की क्रियान्विति में बाधक कुछ संवैधानिक उपबन्धों को हटाया जाये। इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए मैं एक संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत करने का प्रयत्न कर रहा हूं। आशा है कि सत्तारूढ़ दल इन सभी पहलुओं पर विचार करेगा तथा संविधान में कुछ संशोधन करेगा।

इस बात की भारी आवश्यकता है कि हमारी अर्थ-व्यवस्था पर प्रभुत्व रखने वाली बड़ी शक्तियों पर सामाजिक नियंत्रण होना चाहिये और इसके लिये हमारी आर्थिक योजनाओं में मौलिक परिवर्तन लाना होगा। देश में पूंजी की भारी कमी है और यह भी स्पष्ट हो गया है कि व्यक्तिगत बचत से राष्ट्र को पर्याप्त पूंजी नहीं मिल सकती है। उसके लिये हमें औद्योगिक बचत पर ही निर्भर करना पड़ेगा।

केवल बैंक राष्ट्रीयकरण से ही काम नहीं चलेगा। सामान्य बीमा जैसी संस्थाओं पर भी सामाजिक नियंत्रण की आवश्यकता है। मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ऐसी संस्थाओं को सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत लाया जाना चाहिये। यद्यपि सरकारी क्षेत्र के बारे में यह आशंकाएं तथा मान्यतायें फ़ैलाई जा रही हैं कि वह कार्यकुशल नहीं हैं तथापि हमें उनको मजबूत बनाना होगा तथा उसमें कार्यकुशलता भी लानी होगी जिससे सही अर्थों में समाजवाद आ सके। अतः हमें इस क्षेत्र को सफल बनाना होगा। मैं यह भी मानता हूं कि सरकार ने केवल 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके उपयुक्त कदम उठाया है क्योंकि इन बैंकों में अधिक धन राशि जमा हो रही थी।

इसके अतिरिक्त हमें जनता को यह भी विश्वास दिलाना होगा कि राष्ट्रीयकृत बैंक ठीक प्रकार से चल रहे हैं तथा उनकी कार्यकुशलता में भी वृद्धि हुई है। साथ ही देश के पिछड़े वर्गों

में भी यह भावना उत्पन्न होनी चाहिये कि उनको ऋण सम्बन्धी अधिक सुविधाएं मिल सकेंगी। कर्मचारियों में भी यह भावना आनी चाहिये कि प्रबन्ध में उनका भी योगदान है। महोदय, मुझे विवश होकर कहना पड़ता है कि अभी तक ऐसी स्थिति नहीं आ पाई है।

सरकारी क्षेत्र के स्वरूप को अच्छा बनाने की समस्या का पुनः उल्लेख करते हुये मैं यह अनुभव करता हूं कि उनका विस्तार किया जाना चाहिये। मेरा विचार यह है कि यदि विशेषकर उपभोक्ता वस्तु उद्योग प्रभावपूर्ण ढंग और कुशलता से कार्य कर सकें तो सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की लोकप्रियता बढ़ जायेगी। औद्योगिक विकास के बारे में यह विकट समस्या है कि सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों के उद्योगों में कच्चे माल का उचित वितरण नहीं होता है। अतः इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि एक स्वायत्तशासी निगम की स्थापना की जानी चाहिये जो कच्चे माल की वसूली को भण्डारों में रखे तथा उसका प्रभावपूर्ण ढंग से वितरण करे। हाल ही में कपड़ा उद्योग में एक संकट आया था जो कुछ हद तक अवास्तविक था। कपड़ा मिल के बड़े बड़े उद्योगपतियों ने सरकार पर इस बात का दबाव डालना चाहा था कि रूई के आयात की अनुमति दी जाये जिससे अन्ततोगत्वा उन्हें अधिक लाभ मिल सके। उन्हें इस क्षेत्र में कुछ सफलता भी मिली है। इसी प्रकार कपास उत्पादकों की तथा उपभोक्ताओं की भी अपनी अपनी समस्याएं हैं। अतः सरकार को इन सभी पहलुओं पर विचार करना होगा तथा रूई निगम को अधिक शक्तियां देकर तथा उनके कार्यक्षेत्र को अधिक व्यापक बनाकर उसमें भारी परिवर्तन करना होगा। ऐसा करने से ही कपास उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं को न्याय मिल सकेगा।

खाद्यान्न तथा अन्य अनिवार्य वस्तुओं के थोक व्यापार पर सामाजिक नियंत्रण से सम्बन्धित्त समस्याएं भी शीघ्र ही सुलझानी चाहिये। कई वर्ष पूर्व सरकार ने श्री अशोक मेहता की अध्यक्षता में खाद्यान्न जांच समिति नियुक्त की थी। समिति ने विशेषज्ञों के साक्ष्य लेकर तथा समस्या का अध्ययन करके यह सिफारिश की थी कि खाद्यान्न तथा आवश्यक वस्तुओं को थोक व्यापार पर सामाजिक नियंत्रण पर दिया जाये। महोदय ! मुझे खेद है कि समिति की इन सिफारिशों को क्रियान्वित नहीं किया गया है।

अब मैं क्षेत्रीय असमानता की चर्चा करना चाहूंगा। इस असमानता का समाधान विभिन्न स्तरों पर किया जाना है। विभिन्न क्षेत्रों के वर्तमान इनफ्रास्ट्रक्चर में असमानता के कारण इसका उदय हुआ है। अतः हमें पिछड़े क्षेत्रों का संचार के उपयुक्त साधनों में विकास करना होगा। वहां कृषि पर आधारित उद्योग का विकास करना होगा। मेरे निर्वाचन क्षेत्र कोंकण में इस बात को लेकर भारी आन्दोलन चल रहा है। यह पिछड़ा हुआ क्षेत्र है तथा वहां कोई भी उद्योग स्थापित नहीं करना चाहता है। इसका कारण यह है कि वहां रेलवे आदि की कोई व्यवस्था नहीं है तथा संचार के अन्य कोई साधन भी नहीं है।

विभिन्न वर्गों द्वारा डाले गये दवाव के कारण सौभाग्य से सरकार ने बम्बई-मंगलौर रेलवे लाइन का सर्वेक्षण करने का निर्णय किया था। दुर्भाग्य से कोंकण रेलवे लाइन की योजना के लिये प्रभावशाली ढंग से बल नहीं दिया गया है। इस क्षेत्र के बहुत से गांवों में अब भी बैलगाड़ियों का उपयोग किया जाता है। चुनाव अभियान के दौरान हमारे मंत्रिगण वहां हैलीकाप्टर से गये

थे। यह खेद की बात है कि उस क्षेत्र के लिये किसी रेलवे लाइन की व्यवस्था अभी तक नहीं की जा सकी है। मेरा निवेदन है कि अब तो इस आवश्यकता को पूरा किया जाना चाहिये।

यह आश्चर्य की बात है कि 'समाजवाद' के सम्बन्ध में एक शब्द भी नहीं कहा गया है। वास्तव में जब तक सम्पत्ति कर जैसे उपायों को काम में नहीं लाया जायेगा तब तक विद्यमान असमानता को दूर नहीं किया जा सकता है। अतः मेरा सुझाव है कि सम्पत्ति कर जैसे उपायों को क्रियान्वित किया जाना चाहिये।

अब मैं यंत्रों से सम्बन्धित नीति के विषय में कुछ कहना चाहूंगा। आधुनिक और समाजवादी विचारधारा में विश्वास रखने के कारण मैं मशीनों का पूरी तरह से विरोधी नही हूं। आधुनिक युग में मशीनों का प्रयोग अनिवार्य है। किन्तु योजना आयोग का यह दृष्टिकोण है कि वर्तमान स्थिति में हमारे उद्योग अधिकतर श्रमप्रधान होने चाहिये जिससे श्रमिकों को रोजगार मिलता रहे। क्योंकि अभी हम इस स्थिति में नहीं हैं कि उद्योगों से हटाये जाने वालों को दूसरा काम दिया जा सके। अतः इस सम्बन्ध में यही रवैया अपनाना चाहिये।

जहाँ तक कर-सम्बन्धी नीति का प्रश्न है मैं नहीं समझता कि यदि समाजवादी सत्तारूढ़ हो जाये तो वे कोई कर नहीं लगायेंगे। किसी भी दल की सरकार बने परन्तु कर लगाये बिना किसी का भी कार्य चल नहीं सकता। किन्तु समाजवादी दृष्टिकोण के अनुसार समाज के अधिक समर्थ व्यक्तियों पर अधिक कर लगना चाहिये और जो गरीब जनता है उन पर उनकी क्षमता के अनुसार ही कर लगाया जाना चाहिये।

जहाँ तक कृषि का सम्बन्ध है हमें कृषि के विकास पर अधिक ध्यान देना होगा तथा भूमि सुधार के सम्बन्ध में समस्या का भी समाधान करना होगा। सुना है कि वित्त मंत्री महोदय ने कुछ दिन पूर्व कहा है कि गांव की धनी जनता को भी कुछ देना होगा; किन्तु महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री ने तुरन्त एक टिप्पणी की कि यह नारेबाजी बन्द होनी चाहिये तथा गांव के धनी व्यक्ति इससे चिंतित न हों। मेरे विचार से स्वयं सत्तारूढ़ दल के विचारों में भी समानता नहीं है। मुझे आशा है कि उचित और उपयुक्त नीति अपनाई जायेगी तथा कर की व्यवस्था ऐसी होगी जिससे गरीब जनता पर कम भार पड़ेगा तथा अमीर लोग अधिक योगदान देंगे।

श्री सी० एम० स्टीफन (मुवत्तुपुजा): सबसे पहले मैं माननीय वित्त मंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत ही स्पष्ट भाषण दिया है और उसमें सरकार की नीतियों और महान उद्देश्यों का उल्लेख किया गया है। माननीय मंत्री ने दल के उद्देश्यों और हमारे विचारों को अच्छी प्रकार अपने भाषण में स्थान दिया है। अपने भाषण के प्रारम्भ में उन्होंने मुख्य आर्थिक नीतियों, आय विषमता को दूर करने, रोजगार के बड़े पैमाने पर अवसर उपलब्ध कराने आदि के बारे में विवेचन किया है। मूल्यों की वृद्धि को रोकने तथा सुरक्षित भुगतान शेष रखने आदि ऐसे उद्देश्य हैं जिन्हें कई विरोधी दलों ने भी स्वीकार किया है। चुनाव से पूर्व हमारी नीतियों का खंडन किया जाता रहा है। परन्तु चुनाव में जनता का पूर्ण समर्थन पाने के बाद हमें आशा है कि विपक्षी दल के सदस्य हमारी नीतियों का खंडन नहीं करेंगे। मुख्य बात

नीति की नहीं होती। मुख्य बात यह होती है कि कार्यक्रम को हम किस प्रकार क्रियान्वित कर पाते हैं। वस्तुतः ये कार्यक्रम उस समय और भी स्पष्ट हो जाएंगे जब मई में बजट पेश किया जाएगा। माननीय मंत्री ने कहा है कि पहले हमारे अनुभव जैसे भी रहे हों, इस बार स्वीकृत कार्यक्रमों को शीघ्र और सुचारु ढंग से क्रियान्वित किया जाएगा ! इस वाद-विवाद से केवल एक उद्देश्य की पूर्ति हो सकती है और वह उद्देश्य यह है कि माननीय सदस्यों के सुझावों का बजट तैयार करते समय ध्यान रखा जाए। मुझे बहुत निराशा हुई जब मैंने यह देखा कि 'समाजवाद' शब्द राष्ट्रपति के अभिभाषण में छोड़ दिया गया है। हमें शब्दों से कोई लगाव नहीं, पर मेरा विश्वास है कि ऐसे शब्द महत्त्वपूर्ण होते हैं और उनका मनोवैज्ञानिक मूल्य होता हैं। समाजवाद का अर्थ—आर्थिक उन्नति तथा सामाजिक न्याय नहीं है। समाजवाद इससे कहीं बढ़कर है। समाजवाद जीवन जीने का एक ढंग है। वर्तमान आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक जीवन को बदलने का नाम समाजवाद है। अतः मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि वह कोई भी घोषणा करते समय समाजवाद की उपेक्षा न करें। कार्यक्रम बनाना कोई कठिन काम नहीं है। कोई भी बुद्धिजीवी कार्यक्रम बना सकता है। देखना यह है कि क्या उस कार्यक्रम को संतोषजनक ढंग से क्रियान्वित किया जा सकता है ? हमारा दल, सरकार, हमारे नेता इसे क्रियान्वित करने का आश्वासन देते हैं। लेकिन हम राष्ट्र को केवल यह बता सकते हैं कि क्या किया जाना चाहिए। हमारी नीतियां क्या हैं ? इस कार्यक्रम को क्रियान्वित करना एक दूसरे तंत्र का काम है। हमने अभी तक जो भी योजनाएं बनायीं, वे क्रियान्विति के अभाव में असफल हो गईं। अतः इस मामले में पूरी-पूरी जांच किए जाने की आवश्यकता हैं। आज देश की 60 करोड़ जनता देश का काया पलट कर रही है। वह वस्तुओं का उत्पादन इस ढंग से कर रही है कि सभी को बड़ी मात्रा में वस्तुएं उपलब्ध हों। यह साधारण बात नहीं है। इस उद्देश्य को दो प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है—प्रजातांत्रिक ढंग से और तानाशाह ढंग से। भारत के मतदाताओं ने दूसरे ढंग को अस्वीकार किया है। अतः आवश्यक है कि देश के प्रत्येक क्षेत्र में रहने वाले लोगों को इस बात से अवगत कराया जाए कि देश समाजवाद के आधार पर प्रजातंत्र को कायम रखने के लिए लालायित है। लेकिन बड़े खेद की बात है कि हमारे मार्ग में कई बाधाएं हैं और संविधान का संरक्षण प्राप्त होने के बावजूद भी हम अपनी सेवाओं को पूरी तरह नहीं निभा रहे हैं। हमारे लक्ष्य पूरे नहीं हो रहे हैं। देश की जनता ने हमें पूर्ण समर्थन दिया है और इसलिए हमारा कर्त्तव्य हो जाता है कि हम देश में समाजवाद लाने के लिए प्रयत्न करें।

कुछ विपक्षी दलों ने सरकारी क्षेत्रों की निन्दा की है और आरोप लगाया है कि इससे हमें सफलता नहीं मिल सकती। ऐसा कहना सरकारी क्षेत्र में काम कर रहे मजदूर को चुनौती देना है। मैं स्वयं श्रमिक संघ का नेता हूं। असफलता के लिए मजदूर को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। मुझे पता है कि प्रबन्धक तथा अधीक्षक वर्ग किस प्रकार काम करते हैं। जब मजदूरों से इस वर्ग को सहयोग मिलना बन्ध हो गया तो इनसे पूछा गया कि क्या वे मजदूरों का काम कर सकते हैं ? परन्तु मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि इस वर्ग को दाम से मतलब है न कि काम से। एक प्रस्ताव रखा गया था जिसमें प्रशासन वर्ग को सरकारी क्षेत्रों में काम करने के लिये तैयार करने का विचार था। परन्तु इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गई। अब भी सरकारी क्षेत्रों में आई० सी० एस० अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं।

जब तक सरकारी क्षेत्र में पूरा सुधार नहीं किया जाता तब तक समाजवाद शब्द अपने आप में निन्दनीय शब्द बना रहेगा। प्रबन्धक एवं अधीक्षक वर्ग का यह कर्त्तव्य होना चाहिए कि वे सरकारी क्षेत्र की सफलता के लिए प्रयत्न करें ओर यदि वे अपने इस प्रयत्न में सफल नहीं होते तो उन्हें नौकरी से हटा दिया जाना चाहिए।

क्षेत्रीय असंतुलन के बारे में भी कहा गया है। मेरा आरोप है कि सरकार केरल की उपेक्षा कर रही है और केरल के लोगों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कहा गया है कि केरल में राजनीतिक अस्थिरता है। परन्तु मेरा दावा है कि वहां अस्थिरता समाप्त हो चुकी है और प्रजातंत्र स्थापित हो गया है। प्रजातंत्र के पथ पर रोड़ा अटकाने वालों को भगा दिया गया है। उन्होंने ऐसे प्रतिनिधि चुनकर भेजे हैं जो प्रजातंत्र और समाजवाद में विश्वास रखते हैं। अतः हमें देखना है कि केरलवासियों की समस्याओं पर पूरा पूरा ध्यान दिया जाए। यदि हम क्षेत्रीय असंतुलनों को समाप्त करना चाहते हैं तो हमें राजनीतिक दबाव के बावजूद कमजोर वर्ग की ओर ध्यान देना चाहिए और हमें न्यायसंगत कार्य करना चाहिए। गत दस वर्षों से केरल में पत्तन निर्माण उद्योग खोलने का प्रस्ताव है। लेकिन अभी तक कुछ सड़कें और भवन ही बने हैं। ऐसा लगता है कि सरकार ने अभी कोई निश्चय नहीं किया है या फिर प्रभारी अधिकारी सरकारी नीतियों को क्रियान्वित करने की स्थिति में नहीं हैं। इसी प्रकार केरल में पेट्रो-रासायनिक उद्योग खोलने का प्रस्ताव था। परन्तु आशंका है कि राजनीतिक दबाव में आकर उद्योग को कहीं और जगह स्थापित किया गया है।

केरल को इस समय शिक्षित युवकों की बेकारी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। नए उद्योग स्थापित नहीं किए जा रहे हैं और जो उद्योग पहले से स्थापित हैं, वे भी समाप्त हो रहे हैं। केरल के काजू उद्योग में डेढ़ लाख कर्मचारी काम कर रहे हैं। अब सरकार ने कच्चे काजू के आयात के लिए एक प्रक्रिया-विशेष लागू की है। लेकिन ऐसा सामाजिक उद्देश्य से किया जाना चाहिए। सामाजिक उद्देश्य यह है कि कच्चे काजू सम्बद्ध कारखानों को दिए जाने चाहिए ताकि मजदूरों को काम मिले। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उद्योग एक जगह से दूसरी जगह ले जाए जांए। यह समाजवाद नहीं है। कच्चे काजू आयात करने के बाद नियोक्ताओं को दे दिए जाते हैं और नियोक्ता उद्योग को उस स्थान पर स्थापित करते हैं जहां उन्हें कम वेतन पर मजदूर उपलब्ध हों। क्या सरकार की समाजवादी नीति का अर्थ यह है कि मजदूरों को न्यूनतम मजूरी से वंचित किया जाए? गत सात महीनों से सवा लाख मजदूर बेकार घूम रहे हैं। 5000 वेतनभोगी कर्मचारी बेकार बैठे हैं। अतः मेरा कहना है कि आयात प्रक्रिया सामाजिक उद्देश्य से लागू होनी चाहिए।

केरल में एक निगम 6 कारखानों को चला रहा है। निगम मुनाफे पर उद्योग चला रहा है। परन्तु कारखानों के पास उद्योगों को विकसित करने के लिए पर्याप्त धन नहीं है। इस उद्देश्य के लिए 50 करोड़ रुपये सुरक्षित रखे गए हैं। मेरा अनुरोध है कि उन्हें पर्याप्त लाभ दिया जाना चाहिए।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रखें।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : जब कोई ध्यानाकर्षण सूचना विचाराधीन होती है तो मंत्री महोदय स्वेच्छा से वक्तव्य देते हैं। यह प्रक्रिया इसलिए शुरू की गई है ताकि मंत्री महोदय को पूरक प्रश्नों का सामना न करना पड़े। सदन को पहले ध्यानाकर्षण सूचना के माध्यम से तथ्यों से अवगत होने का विशेषाधिकार प्राप्त था। परन्तु अब तथ्य छिपाये जा रहे हैं। यह सदन के प्रति अशिष्टता है।

सभापति महोदय : मैं आपके विचार अध्यक्ष महोदय तक पहुंचा दूंगा।

दिल्ली हवाई अड्डे पर दुर्घटना के बारे में वक्तव्य
STATEMENT RE : ACCIDENT AT DELHI AIR PORT

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : मुझे बड़े खेद के साथ सदन को सूचित करना पड़ता है कि कल सबेरे दिल्ली हवाई अड्डे पर एक बड़ी दुखद दुर्घटना हुई जिसमें इंडियन एयरलाइंस के बोइंग 737 विमान का एक फालतू टायर हैंगर नं० 4 के पास हवा भरते समय फट गया। इस दुर्घटना से इंडियन एयरलाइंस के चीफ इंजीनियर, श्री एच० ई० ब्रेगांजा की, जो पास ही खड़े हुए थे, तत्काल मृत्यु हो गई, और एक तकनीकी अधिकारी श्री गुप्ता विलिंगडन अस्पताल पहुंचने पर मृत घोषित कर दिये गए। एक चौकीदार श्री बुद्धि सिंह की हालत बड़ी नाजुक है और एक मजदूर को मामूली चोटें आई हैं। हवाई अड्डे का हैल्थ आफिसर और इंडियन एयरलाइंस का मैडिकल आफिसर तुरन्त दुर्घटनास्थल पर पहुंचे तथा घायल व्यक्तियों को तत्काल विलिंगडन अस्पताल पहुंचाया गया।

दुर्घटना की नागर विमानन विभाग के वैमानिक निरीक्षण के नियंत्रक तथा एयरलाइंस द्वारा जांच की जा रही है। इंडियन एयरलाइंस के सेवा नियमों में मृत व्यक्तियों के परिवारों के लिए अंतिम मास में लिए गए वेतन की दर पर 36 महीनों के वेतन के भुगतान की व्यवस्था है, तथा इस भुगतान के आदेश जारी कर दिए गए हैं। घायल व्यक्तियों को भी उचित मुआवजा दिया जायेगा।

मुझे विश्वास है यह सदन शोकातुर परिवारों के प्रति गहन समवेदना प्रकट करने में मेरा साथ देगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : ऐसी व्यवस्था की जाय कि इस वक्तव्य पर माननीय सदस्य कल प्रश्न पूछ सकें। हम जानना चाहते हैं कि दोनों अधिकारी वहां क्या कर रहे थे ; वे किस ड्यूटी पर थे और क्या यह ड्यूटी सामान्य थी अथवा नहीं।

सभापति महोदय : मैंने श्री ज्योतिर्मय बसु को पहले ही बता दिया है कि उनके विचार अध्यक्ष महोदय तक पहुंचा दिए जायेंगे। यदि माननीय मंत्री के वक्तव्य के बाद प्रश्न पूछे जायेंगे तो इससे प्रकिया भंग हो जाएगी और पूरक प्रश्नों का तांता बंध जाएगा।

Shri Jagannath Rao Joshi (Shajapur) : Mr. Chairman, Sir, We have given Calling Attention Notice. In view of the statement made by the Hon. Minister, if the Speaker does not allow it, what will we do ?

सभापति महोदय : आप अध्यक्ष महोदय से इस विषय पर बात कर सकते हैं।

डा० कर्ण सिंह : मैं माननीय सदस्य द्वारा पूछे गए किसी भी प्रश्न का स्पष्टीकरण देने के लिए तैयार हूं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : माननीय मंत्री को पता है कि हम क्या चाहते हैं। वह कृपया स्पष्टीकरण दें।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या यह सच है कि दोनों इंजीनियर दिन-रात काम करके थके हुए थे जिसके कारण वे मीटर नहीं देख सके और टायर में अत्यधिक हवा भर जाने से दुर्घटना घटी ?

श्री सभापति महोदय : यह स्पष्टीकरण नहीं, आरोप है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : सरकार को अपनी कमजोरियों का पता है। इसीलिए मंत्री महोदय ने स्वेच्छापूर्वक वक्तव्य दिया है।

पश्चिम बंगाल से केन्द्रीय सैन्य तथा पुलिस बल को हटाने के सम्बन्ध में संकल्प

RESOLUTION REGARDING WITHDRAWAL OF CENTRAL FORCES FROM WEST BENGAL

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा, इस बात को देखते हुए कि पश्चिम बंगाल में केन्द्रीय आरक्षित पुलिस बल तथा अन्य केन्द्रीय बल अपने क्षेत्राधिकार से आगे बढ़कर गैर-कानूनी ढंग से कार्यवाही कर रहे हैं, जिससे वहां की जनता में अति रोष व्याप्त है, मांग करती है कि पश्चिम बंगाल से ऐसे बलों को तुरंत हटाया जाय।"

यह एक महत्वपूर्ण मामला है जो पश्चिम बंगाल के 5 करोड़ लोगों से सम्बन्धित है। आज उनका दमन किया जा रहा है। श्रीमती इन्दिरा गांधी की सरकार बंगाल में कांग्रेस की सत्ता को पुनःस्थापित करने का दुःसाहसिक प्रयत्न कर रही है। जब से राष्ट्रपति शासन लागू किया गया, पश्चिम बंगाल के साथ वही व्यवहार किया जा रहा है, जो जबर्दस्ती कब्जा किए हुए प्रदेश के साथ किया जाता है। 'टाइम्स आफ इण्डिया' 'हिन्दुस्तान स्टैनडर्ड' आदि गैर-मार्क्सवादी समाचारपत्रों ने कहा है कि कांग्रेस अपनी सत्ता को पुनःस्थापित करने के लिए दुःसाहसिक प्रयत्न कर रही है और सैनिक एवं अर्द्ध-सैनिक बलों का कानून और व्यवस्था को

बनाये रखने के लिए उपयोग कर रही है। सरकार ने निवारक नज़रबन्दी कानून जैसे काले कानूनों का प्रयोग किया है। इस सरकार ने पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने की जांच करने की मांग को ठुकरा दिया जो एक विदेशी शक्ति भी नहीं करेगी। इस सम्बन्ध में प्रधान मंत्री ने जो वक्तव्य दिया, वह सत्य से कोसों दूर था।

कलकत्ता के पुलिस आयुक्त ने कहा कि चाहे नज़रबन्दी कानून लागू किया जा रहा है या नहीं, हम देखते ही गोली मारेंगे। नक्सलवादियों के नाम पर मार्क्सवादी दल के कार्यकर्ताओं पर पुलिस गोली चला रही है। राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने के बाद स्थिति बहुत अधिक नाजुक हो चुकी है। केन्द्रीय सरकार का लक्ष्य कृषकों और मजदूरों का दमन है। इसके परिणाम स्वरूप मार्क्सवादी दल के 200 सौ सदस्यों को पुलिस ने गोली से उड़ा दिया है। यह 1967 में श्री अजय मुकर्जी और श्री यशवन्तराव चह्वाण के बीच हुए षड्यंत्र का परिणाम है। चुनाव के बाद करीब 1,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसके बावजूद भी हमने अपना अभियान आगे चलाया और पटसन उद्योगों के मालिकों को अपने भारी मुनाफे के एक अंश को मजदूरों को देने को वाध्य किया है। जोतदारों की सहायता के लिए केन्द्रीय रिजर्व पुलिस को भेजा गया। इसके बावजूद भी बर्गादारों से भूमि वापस नहीं ली जा सकी क्योंकि हम अपने अधिकारों के प्रति अत्यधिक सचेत हैं। जब अपराधी लोग हम पर हमला करते हैं, कानून इसको नज़रअन्दाज करता है। मगर जब हम आत्मरक्षा के लिए लड़ने लगते हैं, तो पुलिस हम पर गोली चलाती है। केन्द्रीय रिजर्व पुलिस पर इस समाजवादी सरकार ने 76.5 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। रिजर्व पुलिस के दो बटालियन और बढ़ा दिए गये हैं। औद्योगिक सुरक्षा दल के लिए 1.45 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। प्रतिरक्षा सेवाओं के लिए 58 करोड़ रुपए से अधिक राशि खर्च की जा रही है। इन सभी के अलावा पश्चिम बंगाल पुलिस के 64 हजार लोग आपकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं।

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस द्वारा जो अत्याचार किया जा रहा है, उसके एक दो उदाहरण मैं पेश करूंगा। मालदा में 14 वर्ष की एक बालिका का शीलभंग किया गया। बसंती में छः महिलाओं का शीलभंग किया गया। बसंती में ही छः लड़कियों का शीलभंग किया गया। दुर्गापुर में हड़ताल के दौरान कई महिलाओं का शीलभंग किया गया। ये कानून और व्यवस्था के पालन के नाम पर पश्चिम बंगाल की राजनीति में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। अन्य राज्यों में क्या हो रहा है? मध्य प्रदेश में गत तीन वर्षों में 1,300 डकैतियां और 6,200 हत्यायें हुई। कलकत्ता के बारे में श्री धवन ने कहा है कि वहां की गलियां दिल्ली की गलियों से भी अधिक सुरक्षित हैं। कई स्थानों में जहां पुलिस ने लोगों को मारने से इन्कार किया, वहां केन्द्रीय रिजर्व पुलिस का उपयोग किया गया। बिहालिया में 1,400 घरों में तोड़फोड़ की गई। यह कितनी लज्जाजनक बातें हैं। अब ये लोकतंत्र की बातें कर रहे हैं। मार्क्सवादी कार्यकर्ता दीवारों पर इश्तहार लगाते समय रिजर्व पुलिस की गोली के शिकार हुए। नकतला और टालीगंज में रिजर्व पुलिस ने तमाम इलाके को लूट लिया है। एक सेवा निवृत्त न्यायाधीश को रिजर्व पुलिस ने थप्पड़ मारा। अगस्त, 1970 में जादवपुर विश्वविद्यालय में पुलिस ने 150 छात्रों, अध्यापकों और कर्मचारियों को घायल कर दिया। गृह सचिव ने कहा कि हमने गोली मारने का या लाठी चलाने का कोई आदेश नहीं दिया। रिजर्व पुलिस अपनी राय पर काम कर रही

है। यह है केन्द्रीय रिजर्व पुलिस। यह गैर-कानूनी घोषित किए गए व्यक्तियों का समूह है। इस रिजर्व पुलिस के लिए अब सरकार राशि मांग रही है।

कृष्णानगर, दुर्गापुर, सिलीगुड़ी, अलीपुर तथा अन्य स्थानों में सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है। श्री नंदा ने सदन में आश्वासन दिया था कि जो कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। रेलवे अधिकारियों और पुलिस ने उसकी उपेक्षा की है। पुलिस ने कर्मचारियों के घर जाकर उन्हें धमकी दी है। सब-डिविजनल पुलिस अधिकारी रात के दो बजे शराब पीकर कालोनी गए और महिलाओं का शीलभंग किया। ये लोग इस प्रकार का अत्याचार कर रहे हैं। एक जोतदार की सहायता के लिए उन्होंने 22 लोगों को गिरफ्तार किया और इतना पीटा कि सबको अस्पताल में भर्ती करना पड़ा।

पुलिस के एजेन्टों द्वारा, किराये के अपराधियों द्वारा योजनाबद्ध तरीके से कई लोगों की हत्या की जा रही है। जादवपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति की हत्या की गई ओर मशहूर श्रमिक संघ के नेता श्री निरेश ठाकुर की निर्मम हत्या की गई। बारासात में ग्यारह छोटे लड़कों को पुलिस ने गोली से उड़ा दिया। प्रधान मन्त्री ने आश्वासन दिया था कि केन्द्रीय जांच ब्यूरों द्वारा इसकी जांच कराई जाएगी। मैंने शव-परीक्षा की रिपोर्ट की प्रति मांगी, तो उन्होंने देने से इन्कार किया। उन्होंने इस मामले की जांच के लिए जो न्यायाधीश की नियुक्ति की थी, उन पर पुलिस के एजेन्टों द्वारा चाकू से वार किया गया। जांच का कार्य वहीं समाप्त हो गया। पुलिस लोगों पर अत्याचार कर रही है। मैं जानना चाहता हूं कि बलियाघाटा में हुई हत्या के बारे में सरकार ने क्या निर्णय किया है? पुलिस उपायुक्त को बंदूक से मारा गया। सुबह चार बजे चार लड़कों को मारा गया, जिनमें एक अशोक बोस था जो नैशनल टेलेन्ट छात्रवृत्ति पाने वाला था। लोगों ने रैटर्स बिल्डिंग के सामने प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में महिलायें शामिल थीं, और कई कांग्रेसी विधायक भी थे। इस प्रकार की हत्यायें श्रीमती इंदिरा गांधी के आदेशानुसार की जा रही है। श्री हेमंतकुमार बसु, जिनके प्रति हमें असीम श्रद्धा है, की हत्या की गई। मार्क्सवादी दल पर दोष लगाकर जनता में हमारे प्रति घृणा की भावना फैलाना उन लोगों का लक्ष्य था। मगर इससे कोई फायदा नहीं होगा।

डायमंड हार्बर में छः मुसलमान लड़कों की हत्या की गई। अपराधी सुज्जा घोष नामक एक व्यक्ति था, जो जायनगर का कांग्रेस का कार्यकर्ता था। इस व्यक्ति को गिरफ्तार करने की कोशिश नहीं की गई। कलकत्ता के महापौर की हत्या की कोशिश की गई। श्री ज्योति बसु की हत्या की तीन बार कोशिश की गई। पुलिस अपराधियों का पता लगाने में आनाकानी क्यों कर रही है? अगर वे जांच करेंगे, तो कई रहस्यमय बातें सामने आयेंगी। इसी कारण से वे जांच नहीं करा रहे हैं।

श्री भूपेश गुप्ता ने भी केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के अत्याचारों के बारे में कहा। उन्होंने कड़े शब्दों में इसकी निंदा की है। भारत की पुलिस सेना सबसे अधिक भ्रष्ट है। श्री आनन्द नारायण मुल्ला ने इसे गिरोहियों का संगठन कहा। पुलिस प्रत्येक घर से लड़कों को पुलिस थाने ले जा रही है। मैं निजी तौर पर जानता हूं कि एक पुलिस उपनिरीक्षक ने एक मां से उनके

लड़के को मारने से बचाने के लिए एक हजार रुपए मांगा । समीर भट्टाचार्य नामक 17 वर्ष के एक लड़के को श्यामपुकुर पुलिस थाने में ले जाया गया और मार दिया गया । उसको इतना अधिक पीटा कि मुंह से खून बहने लगा और वहीं उसकी मृत्यु हो गई । यही इन लोगों का समाजवाद है । नौकरशाहों और पुलिस का एक विभाग इस प्रकार के अत्याचार में अन्तर्ग्रस्त है । सरकार अगर चाहे तो तीन दिन में इसको समाप्त कर सकती है ।

बारासात पुलिस थाने में एक उप-पुलिस निरीक्षक ने एक अपराधी से कहा "अगर तुम मार्क्सवादी उम्मीदवार को मारोगे, तो हम तुम्हें मुक्त करेंगे ।" हमें सूचना मिली है कि बंदूक और गोलाबारूद मुक्त रूप से अपराधियों को दिया जा रहा है । मैं केन्द्रीय सरकार को चेतावनी देता हूं कि जनता के प्रतिनिधि जब सत्ता सभालेंगे, इन अपराधी पुलिसवालों, और अधिकारियों को दंड दिया जाएगा । उनको हम एक सबक सिखा देंगे ।

कहा जाता है कि पुलिस से बंदूक छीन ली गई । किसी की सहमति के बिना बंदूकें कैसे छीन ली जा सकती हैं ? ताज्जुब की बात यह है कि जब बंदूकें छीन ली गईं, तो पुलिस ने एक गोली भी नहीं चलाई । अन्य बात सेना के उपयोग के सम्बन्ध में है । सेनाध्यक्ष श्री मनिक्शा ने कई बार कहा कि राजनैतिक कार्यों के लिए सेना का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए । मगर पश्चिम बंगाल में सेना के दो डिविजन भेज दिये गए हैं । कर्फ्यू लगाकर ये सारी हत्यायें की जा रही हैं, ताकि दूसरों को सही पता न मिलें । सेना को सभी स्थानों पर तैनात कर दिया गया है । सेना जंगली युद्ध के लिए तैयारी कर रही है । सेना ने कलकत्ता में महिलाओं का अपमान किया और उनके हैण्डबैग छीन लिये । किस कानून के अन्तर्गत सेना वहां काम कर रही है ? उन इलाकों में जहां अधिकतर मार्क्सवादी लोग रहते हैं, सेना के दो सौ, तीन सौ लोग हर दिन तलाशी का कार्य कर रहे हैं । मार्च, 1971 में दस दिनों के अन्दर 34000 लोगों को सेना के लोगों ने परेशान किया । मगर असली अपराधियों को छोड़ा गया । युवक लोग अपने घरों से भाग रहे हैं । श्री ज्योति बसु ने प्रधान मन्त्री को पत्र लिखा था । मगर उसके जवाब में हमें मिल रहा है नजरबन्दी कानून ।

मैं सभी माननीय मित्रों से प्रार्थना करता हूं कि वे 'टाइम्स ऑफ इन्डिया' का लेख पढ़ें जिसमें चुनाव के परिणाम का विश्लेषण किया गया है । उसमें लिखा गया है कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग और अन्य भ्रष्टाचारों के बावजूद भी पश्चिम बंगाल में उनको बहुमत नहीं मिला । पूर्वी पाकिस्तान की घटनायें भविष्य का संकेत करती है । पश्चिम बंगाल की जनता ने हमें चुन लिया है । हम सरकार बना सकते हैं । वहां से केन्द्रीय पुलिस और सेना को हटा दीजिये । पश्चिम बंगाल में केन्द्रीय पुलिस बल को बनाये रखना अवैध है । उन्हें तुरन्त हटाया जाना चाहिए । जिस दल को बहुमत प्राप्त है उसे सरकार बनाने की अनुमति दी जानी चाहिए । जनता के निर्णय का सम्मान किया जाना चाहिए ।

सभापति महोदय : संकल्प प्रस्तुत हुआ । "यह सभा, इस बात को देखते हुए कि पश्चिम बगाल में केन्द्रीय आरक्षित पुलिस बल तथा अन्य केन्द्रीय बल अपने क्षेत्राधिकार से आगे बढ़कर गैर-कानूनी ढंग से कार्यवाही कर रहे हैं, जिससे वहां की जनता में अति रोष व्याप्त है, मांग करती है कि पश्चिम बंगाल से ऐसे बलों को तुरन्त हटाया जाए ।"

डा० रानेन सेन (बारासात) : द्वारा संकल्प पर संशोधन पेश किया गया ।

सभापति महोदय : संकल्प और संशोधन दोनों सभा के समक्ष हैं ।

श्रीमती सुशीला रोहतगी (बिल्हौर) : प्रस्तावक महोदय ने पश्चिम बंगाल के अत्याचार और आतंक का वर्णन बहुत जोरदार शब्दों में किया है । परन्तु यह खेद की बात है कि उन्होंने जो वर्णन किया है वह केवल एकपक्षीय था । आज जिस हिंसा का वर्णन उन्होंने किया है वह तो पश्चिम बंगाल में गत एक वर्ष से हो रही है परन्तु इससे पूर्व उन्होंने इसके बारे में अपना मुंह कभी नहीं खोला । परन्तु अब जबकि केन्द्रीय सरकार ने वहां हस्तक्षेप किया है तो उन्हें कष्ट होने लगा है ।

विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य ने सभापति महोदय से न्याय की अपील की है परन्तु मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि क्या उन्होंने या उनके दल ने अपने राज्य में कभी किसी के साथ न्याय किया है ? उन्होंने और उनके दल ने स्वयं अपने राज्य में सदा पिछले चार वर्षों में निरन्तर न्याय और मानवीयता का गला घोंटा है । बंगाल में लूटमार, आतंक तथा भय का साम्राज्य छाया रहा है। वहां नारियों के साथ जो अभद्र व्यवहार किया गया है उसे मुख से वर्णन नहीं किया जा सकता, परन्तु जब यह सदन रवीन्द्र सरोवर वाली घटना की एकमत से निंदा कर रहा था, तब माननीय सदस्य कहां थे ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : श्रीमान जी, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं सदन को सूचित करना चाहता हूं कि रवीन्द्र सरोवर मामले की जांच उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा की जा चुकी है और उसमें कुछ भी ऐसा नहीं कहा गया है । यह सब कुछ झूठ है ।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : इस सदन पर आपकी धमकियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

श्री अ० कु० गोपालन (पालघाट) : वहां जांच करवाई गई थी । आप जो कुछ कह रही हैं वह उस जांच के विरुद्ध हैं और बाद में आपको यह स्वीकार करना पड़ेगा ।

श्री समर गुह (कन्टाई) : यह जांच नहीं थी । यह केवल मात्र धोखा था । इसमें गवाहों को गवाही देने का अवसर ही नहीं दिया गया ।

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रानिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : मैं श्री गोपालन की भावनाओं का सम्मान करता हूं, परन्तु श्री ज्योतिर्मय बसु ने आज जिन बातों का उल्लेख किया है उनका मैं इस सदन में कई बार विरोध कर चुका हूं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरे पास वह दस्तावेज है जिनके आधार पर मैं कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री ने सफेद झूठ बोला है ।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य को सोच समझ कर बोलना चाहिये। प्रधानमंत्री के विरुद्ध इस प्रकार के आरोप लगाना उचित नहीं है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने जो कुछ कहा है, उसे मैं प्रमाणित कर सकता हूं। आप मुझे विशेषाधिकार समिति को भेज सकते हैं। क्या श्री पन्त इसके लिए तैयार हैं ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : व्यक्ति को उसी बात का विरोध करना चाहिये जिसकी उसे जानकारी हो।

सभापति महोदय : श्री ज्योतिर्मय बसु अब एक दल के नेता हैं। उन्हें इस प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिये।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : श्री गोपालन ने कहा कि वहां जांच हुई थी; उस जांच का ब्यौरा क्या है ?

श्री अ० कु० गोपालन : यदि जांच प्रतिवेदन पुलिस के विरुद्ध हो तो क्या आप इसके लिए क्षमा याचना करेंगी ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी : यदि जांच में यह कहा गया हो कि रवीन्द्र सरोवर की घटना में किसी नारी की मानमर्यादा का हनन नहीं किया गया, तो मुझे इस बात पर खुशी होगी.... ....
(व्यवधान)

सभापति महोदय : यदि सदस्य इसी प्रकार बोलते रहें तो कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में नहीं आयेगा।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : श्री ज्योतिर्मय बसु ने 200 मार्क्सवादियों के मारे जाने का उल्लेख किया है। उन्होंने जो कुछ कहा है मैं उसकी सराहना करती हूं और मेरी उनके साथ पूर्ण सहानुभूति है, परन्तु उन हजारों लोगों का क्या बना जिन्हें मौत के घाट उतार दिया गया ? उन्हें भी तो किसी मां ने जन्म दिया था। हो सकता है कि उनका किसी दल से सम्बन्ध न हो, परन्तु प्रस्तावक महोदय ने मार्क्सवादियों और अन्य लोगों में यह भेदभाव क्यों किया ?

उन्होंने पटसन की हड़ताल की सफलता का भी उल्लेख किया है। यह मेरी व्यक्तिगत मान्यता है कि अब जब देश के विकास के लिए उत्पादन की आवश्यकता है, तो कोई भी हड़ताल सफल नहीं कही जा सकती। इससे विदेशी मुद्रा की हानि होती है, राजकोष में कमी होती है जिसे पूरा करने के लिए गरीब लोगों पर और कर लगाने पड़ते हैं। फिर भला हड़ताल की सफलता का क्या औचित्य हो सकता है ?

मैं प्रस्तावक महोदय को याद दिलाना चाहती हूं कि एक समय था जबकि बंगाल को सभ्यता का पालना माना जाता था। वह अपनी संगीत, नाटक तथा गायन की कलाओं के लिए प्रसिद्ध था। परन्तु वहां पिछले चार वर्षों में जो कुछ भी हुआ है उससे भारतीय संस्कृति भी

शर्माने लगी है। मार्क्सवादी सरकार के शासन काल में पुलिस वालों का मनोबल पूर्णतया समाप्त हो गया था। उन्हें धमकियां दी जाती थीं और कुकृत्य करने के लिए वाध्य किया जाता था; पुलिस को बंगाल में काफी अत्याचार सहने पड़े। परन्तु इसका पूर्ण उत्तरदायित्व मार्क्सवादियों पर ही है।

प्रस्ताव के बारे में मैं तीन बातों पर प्रकाश डालना चाहती हूं। प्रथम बात मैं इस सम्बन्ध में यह कहना चाहती हूं कि सामान्य स्थिति में वहां रक्षित पुलिस को नहीं रखा जाता। परन्तु जब यह अनुभव किया जाता है कि असैनिक शक्तियां स्थिति का मुकाबला करने में समर्थ नहीं है, तो सेना को बुला लिया जाता है और संविधान के अनुच्छेद 355 के अनुसार यह संघीय सरकार का कर्तव्य बन जाता है····**(व्यवधान)**

प्रस्ताव के दूसरे भाग में वहां के लोगों के गहरे रोष को व्यक्त किया गया है। लोगों के गहरे रोष के लिए उत्तरदायी कौन है ? मैं यह स्पष्ट करना चाहती हूं कि लोगों के गहरे रोष का कारण यह है कि वहां सामान्य जन-जीवन समाप्त हो चुका है। लोगों के परिवार अस्त-व्यस्त हो गये हैं, व्यापार तथा उद्योग ठप्प हो गया है। विश्वविद्यालयों का प्रभुत्व समाप्त-प्रायः हो गया है। जिन लोगों की हम पूजा करते थे उनकी मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है। किसी प्रकार भी जीवन वहां सुरक्षित नहीं है। यह जो सब कुछ पिछले चार वर्षों से वहां हो रहा है, इसी के प्रति लोगों में गहरा रोष है और इसका उत्तरदायित्व मार्क्सवादी दल पर है········**(व्यवधान)**

मैं इस दल के नेताओं के भाषण बड़े ध्यानपूर्वक सुनती हूं। इस सदन में भी माननीय सदस्य ने धमकी देने का प्रयत्न किया है। 15 फरवरी के "टाइम्स आफ इन्डिया" में यह खबर छपी थी कि श्री ज्योति बसु ने बदला लेने की धमकी दी है। मार्क्सवादियों पर किये गये हमले का उत्तर हमला करके दिया जायेगा। यह भी कहा गया है कि जो पुलिस वाले उनकी पार्टी के विरुद्ध षड़यन्त्र कर रहे हैं, उन्हें इसका समुचित उत्तर दिया जायेगा। क्या उनका दल यही न्याय चाहता है ? क्या संविधान के अन्तर्गत हमने इसी न्याय की कल्पना की थी ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : गलत बात मत कहिये। अब आपके पापों का घड़ा भर चुका है।

सभापति महोदय : आप इस तरह बीच में मत बोलिये।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : हम पाप से नफरत करते हैं, पापी से नहीं। जब वहां उनका शासन था, तो वहां हिंसा का राज्य था। इन लोगों की माओ के प्रति निष्ठा है। इनके झंडे, इश्तिहार सभी माओ के लाल रंग के प्रतीक हैं।

मैं यह कहना चाहती हूं कि आज भी बंगाल में ऐसी ही स्थिति है। यदि श्री ज्योतिर्मय बसु वास्तव में यह चाहते हैं कि वहां से रक्षित पुलिस को वापिस बुला लिया जाये तो उन्हें वहां सामान्य स्थिति लाने के लिए सहायता करनी चाहिये। जब तक वहां सामान्य स्थिति नहीं लाई जाती, तब तक वहां केन्द्रीय रक्षित पुलिस की आवश्यकता बनी रहेगी। इन शब्दों के साथ मैं श्री बसु के प्रस्ताव का घोर विरोध करती हूं।

डा० रानेन सेन (बारासात) : श्री बसु ने अपने प्रस्ताव में न केवल केन्द्रीय रिजर्व पुलिस को बल्कि पश्चिम बंगाल पुलिस को भी हटाने की बात कही है। उनका यह कथन तर्क-सम्मत नहीं है। यह पहला ही अवसर नहीं है जबकि बंगाल में सशस्त्र सेना और पुलिस को तैनात किया गया है। 1969 में संयुक्त मोर्चा सरकार के गृहमंत्री ने भी नक्सलवादियों को दबाने के लिए मिदनापुर आदि में पूर्वी सीमा राइफल्स को तैनात किया था। उन्हीं दिनों दुर्गापुर, फरक्का आदि में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस को भी तैनात किया गया था तथा सबको इस ऐतिहासिक तथ्य की जानकारी है। **(व्यवधान)**

श्री मनोरंजन हाजरा (आरामबाग) : मैं उस समय विधान सभा का सदस्य था। श्री ज्योति बसु ने कभी ऐसा नहीं किया। विपक्ष के दबाव के कारण उन्हें पुलिस को तैनात करना पड़ा, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस नहीं लगाई गई थी।

डा० रानेन सेन : उसी पुलिस को श्री ज्योति बसु अपने चारों ओर रखते हैं जिसको कि मेरे मित्र श्री ज्योतिर्मय बसु निन्दा कर रहे हैं। यदि उन्हें सुरक्षा की आवश्यकता है तो वह सुरक्षा उन्हें अपने स्वयंसेवकों से करवानी चाहिए।

प्रत्येक व्यक्ति केन्द्रीय रिजर्व पुलिस को पश्चिम बंगाल से हटाना चाहता है। पर उसे वहां किस कारण से लगाया गया अथवा किसने ऐसी स्थिति पैदा की जिसके कारण केन्द्रीय रिजर्व पुलिस को वहां तैनात करना पड़ा, इसे जानना आवश्यक है।

पश्चिम बंगाल के लगभग सभी पत्रों ने इस प्रकार के समाचार छापे हैं कि साम्यवादी (मार्क्सवादी) नेताओं के पास से अथवा उनसे सम्बन्धित कार्मिक संघों के कार्यालयों से बम तथा अन्य बारूद आदि मिली हैं। इस प्रकार की सामग्री जो आतंक फैलाती है वहां जगह-जगह मिली है। वहां की पुलिस के मात्र दर्शक के रूप में खड़े देखते रहने के कारण ही केन्द्रीय रिजर्व पुलिस को लगाना पड़ा। कहने का तात्पर्य यह है कि साम्यवादी (मार्क्सवादी) दल की इस प्रकार की गतिविधियों के कारण ही केन्द्रीय रिजर्व पुलिस को वहां तैनात किया गया।

साम्यवादी (मार्क्सवादी) दल की मदद से पुलिस ने जो गोला-बारूद अथवा हथियार पकड़े वे प्रकाश में नहीं आए, क्योंकि किन्हीं निहित हितों के कारण स्थानीय पुलिस भी साम्यवादियों से मिली हुई थी। अतः फिर केन्द्रीय रिजर्व पुलिस को तैनात करना पड़ा। और उसने सब प्रकार के हथकण्डों को काम में लिया। निर्दोष युवकों और युवतियों को पीटा गया और गिरफ्तार किया गया।

आजकल विद्यमान पश्चिम बंगाल की स्थिति बड़ी ही भयानक है और उसे समाप्त किया जाना चाहिए। अतः वहां से केन्द्रीय रिजर्व पुलिस तथा पुलिस के राज्य को समाप्त किया जाना चाहिए तथा प्रतिनिधि सरकार की स्थापना की जानी चाहिए।

दुर्भाग्य से आजकल पुलिस और सेना की मदद से पश्चिम बंगाल में नौकरशाही का राज्य है। यह बड़ी ही दुखद स्थिति है। दुर्भाग्य से वहां कोई भी दल स्पष्ट बहुमत में नहीं है। पर चुने गए प्रतिनिधियों को इस पुलिस राज्य को समाप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। अब

बंगला देश की स्थिति को देखते हुए सेना को सीमान्त क्षेत्र में होना चाहिए तथा हमें राज्य में शान्तिपूर्ण वातावरण बनाना चाहिए ।

श्री वयालार रवि (चिरयिंकील) : पश्चिम बंगाल में आज जो स्थिति है, जैसा कि मेरे मित्र श्री बसु ने कहा, उसे देखते हुए वहां और पुलिस तैनात करनी चाहिए । अभी भी वहां साम्यवादी (मार्क्सवादी) दल के नेता श्री ज्योति बसु की सुरक्षा पुलिस करती है तथा उनकी सुरक्षा पर साल भर में दो लाख रुपये व्यय होते हैं । श्री ज्योतिर्मय बसु ने राज्य पुलिस के अत्याचारों का कोई उल्लेख नहीं किया । उन्होंने केवल केन्द्रीय रिजर्व पुलिस और सेना की बात ही कही है । क्या राज्य पुलिस ऐसा कोई काम नहीं करती है ? उनके ऐसा कहने का कारण यह है कि श्री ज्योति बसु के गृह-मंत्रित्वकाल में राज्य पुलिस में बहुत से साम्यवादी (मार्क्सवादी) तत्व राज्य पुलिस में शामिल हो गए हैं । अब क्योंकि केन्द्रीय रिजर्व पुलिस राज्य पुलिस के आड़े आती है इसलिए वे उसे हटाना चाहते हैं । वहां रोजाना राजनीतिक नेताओं की हत्या कौन कर रहा है ? उसके पीछे कहा जाता है कि साम्यवादी (मार्क्सवादी) दल का हाथ है । और यदि नक्सलवादियों का भी यह कार्य है तो वह भी उन्हीं के दल की उपज है ।

उनका प्रत्येक बड़ा नेता फिर चाहे वह मेरे राज्य केरल के श्री अ० कु० गोपालन और श्री नम्बूदरीपाद हों अथवा पश्चिम बंगाल के श्री ज्योति बसु—सभी पुलिस की सुरक्षा में घूमते फिरते हैं । यदि वे जनता के प्रतिनिधि हैं तो उन्हें इस प्रकार की सुरक्षा की आवश्यकता क्यों है ? अतः केन्द्रीय सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस को भेजना सही है ।

कलकत्ता में रात में लोग सिनेमा देखने नहीं जा सकते । साम्यवादी (मार्क्सवादी) कुछ क्षेत्रों में जहां अन्य दलों का प्रभुत्व है अपना प्रभुत्व चाहते हैं और उन्हें वहां से हटाने के लिए हिंसा का सहारा लेते हैं और अपने विरोधियों की हत्या करते हैं ।

यह स्थिति समाप्त होनी चाहिए तथा सेना और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस भेजकर वहां शान्ति स्थापित करनी चाहिए। साम्यवादी (मार्क्सवादी) दल को जो थोड़े स्थान वहां से मिले हैं वे भी बहुमुखी मुकाबला होने के कारण मिले हैं । यदि ऐसा न होता तो इतने स्थान भी न मिलते । कांग्रेस को जो इतना बहुमत इस सदन में प्राप्त हुआ है उससे यह स्पष्ट है कि केवल श्रीमती इन्दिरा गांधी ही हमारी नेता हैं और वे ही देश में शान्ति और सुरक्षा प्रदान कर सकती हैं । मैं इस संकल्प का तीव्र विरोध करता हूं ।

Shri R. R. Sharma (Banda) : I am very much surprised to see such a long discussion on the motion of law and order situation. Everybody here wants to have peace and law and order. We are sitting here for the betterment of the country ; then why my C. P. M. friends feel disturbed on the motion of maintaining law and order in West Bengal.

Can the mover give a reply to this motion that from where these arms and ammunitions are coming ? Who supplies them these things ? It is only that party which wants to have class war for their existence.

I would also like to say this to the ruling party that they have also been a party to this. They were not taking stern action against them. Every possible steps should be taken for restoring law and order.

Bengal had been neglected so far. Now we should pay full attention towards West Bengal. The unemployeds should be given proper employment. But the pro Mao element should be crushed with force. There can be no compromise with them.

With these words I strongly oppose this resolution.

श्री बी० के० दासचौधरी (कूचबिहार) : मेरे माननीय मित्र श्री ज्योतिर्मय बसु ने अपना संकल्प प्रस्तुत करते हुए अपने भाषण के दौरान केवल केन्द्रीय सुरक्षा बल द्वारा की गई हत्याओं का ही ब्यौरा दिया है परन्तु अधिकांश मामलों के बारे में उन्होंने ऐसा कोई वक्तव्य नहीं दिया है। इसका कारण है कि साम्यवादी (मार्क्सवादी) दल के लोगों ने ये हत्यायें की थीं। उन्होंने अपने भाषण के दौरान माननीय नेता श्री हेमन्त कुमार बसु की हत्या का भी संकेत करते हुये कहा है कि श्री हेमन्त कुमार वसु की हत्या साम्यवादी (मार्क्सवादी) दल के प्रति लोगों में घृणा उत्पन्न करने के लिए ही की गई थी। परन्तु वह इस बात को भूल गए हैं कि कलकत्ता में शहीद मीनार पर साम्यवादी (मार्क्सवादी) दल के अतिरिक्त अन्य सब राजनीतिक दलों के लोग एकत्र हुए थे और एक संकल्प पास किया था जिसमें साम्यवादी (मार्क्सवादी) दल की गतिविधियों की निन्दा की गई थी और माननीय श्री हेमन्त कुमार बसु की निर्मम हत्या की जिम्मेदारी प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप में साम्यवादी (मावर्सवादी) दल पर ही डाली गई थी। अब सही वस्तुस्थिति का सारे विश्व को ज्ञान हो गया है। अत: उनके संकल्प के इस तर्क में कि केन्द्रीय सुरक्षा बल को पश्चिम बंगाल से हटाया जाये, कोई बल नहीं है। उनके इस संकल्प का विश्लेषण करते समय इसके पक्ष अथवा विपक्ष में बोलने से पूर्व हमें पश्चिम बंगाल की कानून और व्यवस्था तथा समस्याप्रधान स्थिति की गहराई का अध्ययन करना होगा।

संयुक्त मोर्चे की सरकार के चार वर्षों में अर्थात 1967 से लेकर 31 दिसम्बर 1970 तक सरकारी रिपोर्टों के अनुसार पश्चिम बंगाल में 1237 राजनीतिक हत्यायें हुईं। ये सब हत्यायें साम्यवादी (मार्क्सवादी) दल के लोगों ने ही की हैं।

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker *in the Chair*]

आतंक और भय की यह प्रक्रिया साम्यवादी (मार्क्सवादी) दल ने आरम्भ की और उन्होंने पश्चिम बंगाल में कुछ ऐसे मुक्त क्षेत्र बनाए जहां उन्होंने जनता के न्यायालय बनाए और उनका नाम "गणवाद" रखा गया जहां उनके अपने ही व्यक्ति न्यायाधीश तथा दण्डाधिकारी होते थे। वहां किसी प्रकार की कानून और व्यवस्था की स्थिति नहीं थी, पुलिस अधिकारियों का वहां किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं था। श्री ज्योतिर्मय बसु ने अपने भाषण में इन बातों का उल्लेख नहीं किया है।

पत्रों में प्रकाशित रिपोर्टों से स्पष्ट है कि उप-मुख्य मंत्री श्री ज्योति बसु अपने भाषणों द्वारा हिंसा एवं अव्यवस्था को बढ़ावा देते रहे हैं। इस मामले में पुलिस को दोष नहीं दिया जा

सकता । राज्य के मुख्य मंत्री ने अपने 3 दिसम्बर, 1969 के भाषण में राज्य के उप-मुख्य मंत्री एवं गृह-मंत्री श्री ज्योति वसु को राज्य की अव्यवस्था के लिए दोषी ठहराया था । श्री बसु ने उत्तर प्रदेश से सशस्त्र पुलिस को बुलाया था । तत्कालीन गृह-कार्य मंत्री श्री यशवन्तराव चह्वाण ने 26 मार्च, 1969 को सदन को बताया था कि पश्चिम बंगाल के आई० जी० के कहने पर ही केन्द्रीय रिजर्व पुलिस वहां भेजी गई थी ।

उसके तत्काल बाद उप-मुख्य मंत्री ने केन्द्रीय पुलिस की वापसी की मांग की थी ।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : अब वह उसे नहीं चाहते । अतएव उसे वापस बुला लें ।

श्री बी० के० दास चौधरी (कूच बिहार) : अब स्थिति यह है कि सम्पूर्ण राज्य में अराजकता फैली हुई है । पिछले चार वर्ष से वहां पर प्रत्येक दिन अनेक हत्याएं होती हैं । संविधान की धारा 355 के अधीन केन्द्र का यह कर्तव्य है कि राज्य में उपद्रव होने की दशा में स्थानीय लोगों की सुरक्षा के लिए नियंत्रण बनाए रखें । वहां एक प्रकार की आपात्त स्थिति बनी हुई है । चुनाव से पहले तथा उसके बाद भी अनेकों हत्याएं हुई हैं । कलकत्ता के उप-महापौर की हत्या एवं वर्धमान की घटनाओं के लिए कौन उत्तरदायी है ?

कूच बिहार में अनिल भट्टाचार्य की 11 मार्च को इस लिए हत्या कर दी गई कि उन्होंने चुनाव के दौरान कांग्रेस दल के लिए कार्य किया था । 17 मार्च को मेरे जिले में एक वृद्ध चिकित्सक श्री शशधर मोदक की हत्या साम्यवादी (मार्क्सवादी) दल द्वारा कर दी गई ।

श्री ज्योति बसु ने अपने समय में पुलिस का इस प्रकार से पुनर्गठन किया कि पुलिस उनके दल की ही सेवा कर सके ।

अजीत भट्टाचार्य की हत्या का मामला इस आशा से दर्ज नहीं किया गया कि उनका दल सत्ता में आ जायगा । उन दोनों मामलों को दर्ज नहीं किया गया । पश्चिम बंगाल की जनता पूरी तरह विवश है और वे लोग दिल से चाहते हैं कि ऐसी कोई सेना होनी चाहिए जो उनकी सुरक्षा का उत्तरदायित्व सम्भालें । वहां बालक बालिकाएं स्कूल नहीं जा सकते । लोग बाजार नहीं जा सकते । कारखाने बन्द पड़े हैं । पिछले दिन ही समाचार छपा था कि कूच बिहार में सी० पी० एम० के कार्यालय में बम फट गया था, क्योंकि वहां कई बम जमा किये हुए थे । कूच बिहार में सी० आर० पी० के कमाण्डेंट की हत्या कर दी गई । सी० पी० एम० के जिले के नेता तथा उप-नेता जोकि विधान सभा के लिए चुनाव के उम्मीदवार थे, इस समय तक जेल में हैं और उनके विरुद्ध मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं ।

मैं समझता हूं कि जनता को कुछ राहत एवं सुरक्षा देने के लिए केन्द्रीय रिजर्व पुलिस का वहां रहना आवश्यक है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु ने इस चुनाव में सी० पी० एम० को अधिक स्थान मिलने की बात कही है। इसका कारण यह था कि उक्त दल ने जनता को डरा धमका कर ही अधिक स्थान प्राप्त किये हैं। राज्य में सामान्य स्थिति बनने के पश्चात् वे ऐसा नहीं कर पाएंगे। केरल की तरह बंगाल में भी उस दल का कोई महत्व नहीं रहेगा।

मैं सरकार से अपील करता हूं कि स्थिति सामान्य बनने तक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस को पश्चिम बंगाल में रखा जाये। उक्त पुलिस को कुछ विशेष शक्तियां दी जायें तथा उन्हें आदेश दिये जायें कि वे जनता के साथ किसी प्रकार से भी अन्याय न करें जिससे कि जनता उनके बारे में प्रतिकूल राय न बना सके। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव का दृढ़ता से विरोध करता हूं।

Dr. Kailash (Bombay South) : I would like to know from Shri Jyotirmoy Basu the reasons for deplaying C. R. P. in Bengal.

When Shri Jyoti Basu was not ruling over the State four years ago no one ever mentioned C. R. P. But ever since that party having faith in violence came to power, the conditions of the State started deteriorating. The statements made by Shri Jyotirmoy Basu are exaggerated. The problems before the country and particularly before that State are poverty and unemployment. We wish that our young people should give up such activities which fare danger before the country. The hon'ble member has criticised Indiraji as if her name is allergic to him. On the other hand it was possible only due to the actions of Shrimati Indira Gandhi that it became possible to hold elections in West Bengal. He should welcome the opportunity for the formation of popular Government in the State.

Whatever criticism has been made of C. R. P. it applies to C. P. (M). It is obvious from the statements made here that the murders being committed in that State are the results of the misdirections given to the police.

So long as the conditions created by C. P. (M) continue, the C. R. P. may be retained in the State.

Will Shri Basu inform us how much industry was there in Bengal in 1947 and in 1967? To what extent the industry is shifting from that area and the reasons thereof? If that State of affairs continues the entire responsibility would be on the party of Shri Jyotirmoy Basu.

With these words I request the hon. member to withdraw his motion.

श्री समर गुह (कंटाई) : केन्द्रीय रिजर्व पुलिस अर्ध सैनिक संगठन है, जहां कहीं तैनात किया जाये वहां उसकी ओर से ज्यादतियां करना स्वाभाविक है। मुझे आशा है कि नई सरकार बन जाने के बाद वहां पर केन्द्रीय रिजर्व पुलिस आवश्यकता से अधिक नहीं रहेगी। मैंने देखा था कि कुछ घटनाओं में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस ने निर्दोष व्यक्तियों को पीटा था और अनावश्यक रूप से परेशान किया था। जादवपुर विश्वविद्यालय में इन्होंने बहुत अत्याचार किए थे। इसका एकमात्र कारण पश्चिम बंगाल सरकार और केन्द्रीय सरकार की एजेंसी में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के कार्य के बारे में समन्वय का अभाव था। इसी कारण उनमें अनुशासन और नियंत्रण की कमी रहती है। इस बल को ऐसे स्थान पर नियुक्त किया गया था जहां उनके हस्तक्षेप की बिल्कुल आवश्यकता नहीं थी। परन्तु मैं पूछना चाहता हूं कि इसके तैनात किये जाने की आवश्यकता

क्यों पड़ी ? किस मजबूरी के कारण राज्य में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए एक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस को बुलाना पड़ा था ? इस स्थिति को पैदा करने की जिम्मेदारी, साम्यवादी (मार्क्सवादी) दल की है । पश्चिम बंगाल में आज भी बम फेंके जाते हैं और पिस्तौल, स्टेनगन, ब्रैनगन आदि जैसे हथियार आसानी से प्राप्त किये जा सकते हैं । संयुक्त मोर्चा सरकार के तेरह महीने के शासन काल में लगभग 5,000 लोगों को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा । राष्ट्रपति के शासन काल में भी लगभग 3000 व्यक्तियों की हत्या की गई है । किसी व्यक्ति की हत्या करना सबसे अधिक सरल काम है । वहां पर हत्या, अग्निकांड और लूटमार प्रतिदिन की घटनाएं हो गई हैं । वहां पर संसद् और विधान मंडल के सदस्यों का जीवन भी सुरक्षित नहीं है । हमारे निर्वाचित सदस्यों की यह स्थिति है ।

बंगाल के एक महान सपूत श्री हेमन्त कुमार बोस की, जो नेताजी के निकट सहयोगी थे और जिन्होंने 60 वर्ष से अधिक समय तक देश की निरन्तर सेवा की थी, दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी । श्री बोस को अजातशत्रु कहा जाता था जिन्होंने अपने जीवन में कभी कोई ज्यादती नहीं की थी । इस तरह की कई घटनाएं हुई हैं जिनमें निर्दोष व्यक्तियों की इतनी बेदर्दी के साथ हत्या की गई है कि इसकी तुलना जंगली जानवरों के साथ भी नहीं की जा सकती ।

अब प्रश्न यह है कि इस प्रकार की घटनाओं के लिए कौन उत्तरदायी है ? इन लोगों की हत्या का राजनीतिक प्रयोजन है, ये राजनीतिक हथकण्डे हैं । अतः यह समस्या हत्या, लूटमार या अग्निकांड की नहीं है, परन्तु यह समस्या शिक्षा की समस्या है, पश्चिम बंगाल के नवयुवकों के मन में हिंसा की राजनीति ने घर कर लिया है । यदि वहां की राजनीति को सही दिशा प्रदान की जा सके तो पश्चिम बंगाल की सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है । मैं श्री ज्योतिर्मय बसु से पूछना चाहता हूं कि क्या यह सच नहीं है कि पश्चिम बंगाल के राजनीतिक वातावरण में हिंसा की राजनीति उनके दल की देन है ? क्या संयुक्त मोर्चा सरकार के अस्तित्व से पूर्व भी कभी इस प्रकार की योजनाबद्ध रूप में बेदर्दी से हत्याएं की जाती थीं ? मैं श्री बसु के संकल्प का समर्थन करने के लिए तैयार हूं बशर्ते कि वह लोकतांत्रिक आन्दोलन के सिद्धान्त को स्वीकार करें और आश्वासन दें कि वह हिंसा के मार्ग पर नहीं चलेंगे । मैं राज्य में सामान्य जीवन को बहाल करने के लिए शासन की बागडोर केन्द्रीय रिजर्व पुलिस या सेना को सौंपने के पक्ष में नहीं हूं परन्तु प्रश्न यह है कि इसका विकल्प क्या है ? इसका विकल्प यह है कि लोकतंत्रात्मक सिद्धान्तों में और नागरिक प्रशासन में जनता का विश्वास हो । केवल राजनीतिक दल ही विधि के शासन को फिर से बहाल कर सकते हैं । जनता की सामूहिक इच्छा, सामूहिक पहलशक्ति द्वारा और लोकतंत्रीय अधिकारों के प्रति उनकी सामूहिक आस्था द्वारा ही लोक-तंत्रीय वातावरण स्थापित हो सकता है । श्री बसु का दल अन्य सभी संघों को समाप्त करके अपना स्थान बनाना चाहता है और इस प्रयोजन के लिए वह हिंसात्मक साधनों का उपयोग करता है । इनका दल भय और हिंसा का वातावरण बनाता है । यदि वह हिंसात्मक उपाय छोड़ दें और यदि वह मजदूर संघों में लोकतंत्रात्मक सिद्धान्तों का पालन करने को तैयार हों तो मैं उनके संकल्प का समर्थन करने को तैयार हूं । इनका दल पुलिस में घुस पैठ कर पुलिस के व्यवहार को एक दल के पक्ष में करने का प्रयत्न कर रहा है । संवैधानिक किस्म की सरकार में

उनका विश्वास नहीं है। पुलिस और सरकारी कर्मचारियों का काम सरकार की नीति को क्रियान्वित करना है। उनका सम्बन्ध किसी दल-विशेष से नहीं होता। परन्तु इनका दल सभी क्षेत्रों में घुसपैठ करने का प्रयत्न कर रहा है जिससे वे तोड़ फोड़ की कार्यवाही कर सकें।

मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि यदि वे लोकतंत्र के सिद्धान्तों में विश्वास रखते हैं तो वे हिंसा के मार्ग और इस घुसपैठ की नीति को छोड़ दें।

क्या यह सच नहीं है कि संयुक्त मोर्चा सरकार के शासन काल में श्री हरिकृष्ण कोनार ने घोषणा की थी कि उन्होंने 1,10,000 लोगों की एक सेना तैयार कर ली है? क्या उन्होंने यह नहीं कहा था कि समय आने पर इस सेना को मुक्तिसेना की भूमिका निभानी होगी? क्या लोकतंत्र में विश्वास रखने वाला दल इस प्रकार की मुक्तिसेना गठित करेगा? इससे स्पष्ट है कि वे हिंसा में विश्वास रखते हैं। यही इनकी शिक्षा है। यदि वे हिंसा का मार्ग छोड़ दें तो पश्चिम बंगाल में वस्तुतः शान्ति स्थापित हो सकती है। क्या वे शस्त्र, गोला बारूद, विस्फोटक पदार्थ, पाइप-गन, पिस्तौल आदि लौटाने के लिए तैयार हैं? यदि वे ऐसा करें तो मैं उनका समर्थन करने के लिये तैयार हूं। ऐसी स्थिति पैदा होने पर ही पश्चिम बंगाल से केन्द्रीय रिजर्व पुलिस को हटाया जा सकता है।

श्री सी० भट्टाचार्य (गिरिडीह) : वैसे तो मैं श्री ज्योतिर्मय बसु के संकल्प पर हो रही चर्चा के बीच नहीं बोलना चाहता था परन्तु उनके द्वारा कही गई कुछ बातों ने मुझे इसके लिए बाध्य किया है।

कुछ समय पहले तक बंगाल में संयुक्त मोर्चे का शासन था। उस शासन के अन्तर्गत राज्य में कानून और व्यवस्था की जो स्थिति थी उसे हम भूल नहीं सकते। मुख्य सड़क पर एक मृतक की लाश 12 घंटे से अधिक समय पेड़ से लटकती रही और पुलिस ने उसे वहां से नहीं हटाया।

गरीब लोगों की फसलें लूटी गईं। उनके पास खाने को कुछ नहीं बचा जिससे तंग आकर वह मरने को तैयार थे। समाज में इस प्रकार की घटनाओं का होना उस स्तर की ओर संकेत करता है जिस पर हम पहुंच रहे हैं। हमें इस बात पर विचार करना है कि क्या जो कुछ इस समय बंगाल में हो रहा है वह सब देश में होने वाली सामान्य अस्त-व्यस्तता का पूर्व-सूचक है? क्या हम इन सबको मूक दर्शक बन कर देखते और सुनते रहेंगे? सदन में कुछ अन्य प्रकार की बातें कही जाती हैं और बाहर दूसरे प्रकार की। इस सम्बन्ध में नीति का परिणाम अब सामने आ रहा है। इस सब के परिणाम-स्वरूप देश के उस भाग की दुर्दशा हो रही है जिस भाग का अंशदान देश के स्वाधीनता संग्राम में, भाषा, साहित्य, तथा कला के क्षेत्र में किसी प्रकार भी कम नहीं।

क्या यह भाग देश को पृथक्-करण की ओर ले जाने में अग्रणी बनेगा? हाल ही के चुनावों में मतदाताओं ने श्री ज्योतिर्मय बसु के प्रश्नों का बड़ा स्पष्ट उत्तर दिया है। संघर्ष तो चलता रहेगा परन्तु हमें राजनैतिक उद्देश्यों के स्थान पर आर्थिक विकास को अधिक महत्व देना है।

Shri Sudhakar Pandey (Chandoli) : I oppose the motion moved by Shri Jyotirmoy Basu, because I hold his party solely responsible for the situation in Bengal. It is not only a slur on the face of Bengal but it has checked the growth of progressive movement in the country. He has boasted of C. P. M. being the major party in Bengal. But I may make it clear that this party would completely be wiped out by the next elections and it is quite clear from these elections, as they have not been able to make show in most parts of the country.

Popular Government is going to be established in Bengal in a few days and it has become clear to Shri Jyotirmoy Basu that no chance is left for them. They are, therefore, demanding the recall of C. R. P. so that their terrorist activities could continue there. I feel that even Army should be posted in Bengal or in any other part of the country, if need be. Those who believe in violence may be checked otherwise they would put obstacles in the development of society.

Shri A. P. Sharma (Buxar) : I have heard the views expressed by Shri Jyotirmoy Basu and Dr. Ranen Sen, both of whom belong to West Bengal and at one time belonged to one party. But we have to consider what made them apart. There would not have been any need of this Motion had Shri Jyotirmoy Basu cared to keep along him Dr. Ranen Sen. If C. R. P. or Army has to be posted in any part of the country, who is responsible for that eventuality ? The whole responsibility for this social unrest, violence and industrial unrest lies on C. P. M. This situation is the product of the policies pursued by United Front Government. There is so much of unrest in the State that no civilized life is possible there.

Daily we hear about recovery of bombs from people. Why people keep such violent weapons in their homes and create unrest ? Why Central Reserve Police has to resort to 'lathi' charge or firing ? What is the reason for all this ? Can such things happen in any other country of the world ? It may happen in China but in no other country a party could establish its Government by suppressing the people through violence. **(Interruption).**

अध्यक्ष महोदय : आप अपना भाषण अगले दिन जारी रख सकते हैं ।

**इसके बाद लोक-सभा शनिवार, 27 मार्च, 1971/6 चैत्र, 1893 (शक)
के 11 बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।**

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Saturday, March 27, 1971/Chaitra 6, 1893 (Saka).

(Raja) Ram Kumar Press, Lucknow. 15-5-1971—340